

मुख्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है अपनी बुद्धिमत्ता एवं निर्णय क्षमता के कारण ही उसे यह स्थान प्राप्त हुआ है। इस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने में प्रमुख स्थान शिक्षा ने ही निभाया है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास कर उसे एक पूर्ण मानव बनाती है। मानव को एक पूर्ण विकसित प्राणी बनाने के लिए कई नवीन विधियों एवं विषयों का सूत्रपात किया गया जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है।

निःसंदेह किसी भी राष्ट्र या समाज के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन मानव या व्यक्ति है, कोई भी राष्ट्र तब ही उन्नति कर सकता है, जब राष्ट्र के सभी नागरिकों का विकास करने के सर्वोत्तम अवसर मिलें तथा उनका लाभ उठाने में समर्थ हो। वस्तुतः मानव जाति के विकास का आधार शिक्षा प्रणाली ही है। और शिक्षा प्रणाली में शिक्षा मनोविज्ञान का विशेष स्थान प्राप्त है।

शिक्षा मनोविज्ञान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह एक शब्द युग्म है जो शिक्षा तथा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ समझने के लिए हमें शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों का अर्थ अलग-अलग समझना आवश्यक होगा। उसके उपरान्त ही शिक्षा मनोविज्ञान को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं।

शिक्षा मनोविज्ञान = शिक्षा + मनोविज्ञान

शिक्षा - शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के 'शिक्ष्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, अतः शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने तथा सिखाने

की क्रिया, शिक्षा शब्द की अंग्रेजी में Education कहे हैं।  
शब्द अंग्रेजी भाषा के Education शब्द से  
Education Educatum शब्द से

मिलकर बना है। Educatum शब्द E + v + co से मिलकर  
बना है।

Educare - To Bring up

Educere - To lead out or to raise

\* प्लेटो - "शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की  
प्रक्रिया शिक्षा है।"

अरस्तु - "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण  
करना शिक्षा है।"

महात्मा गांधी - "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा  
मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क तथा आत्मा  
के सर्वांगीण, सर्वोत्तम विकास से है।"

मनोविज्ञान - मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के  
व्यवहार, मानसिक एवं वैदिक प्रक्रियाओं का अह-  
मयन करता है परन्तु वास्तव में इसका अर्थ इससे कुछ  
अधिक है और साथ ही कुछ अधिक भी वर्तमान में  
मनोविज्ञान जिसमें मनुष्य एवं पशु प्रक्रियाओं के शारीरिक,  
मानसिक व्यवहारों के कारक, प्रेरक एवं नियन्त्रक तत्वों का  
अध्ययन किया जाता है।

शाब्दिक अर्थ - मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन  
का विज्ञान अर्थात् मनोविज्ञान अध्ययन की  
वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है।  
मनोविज्ञान की अंग्रेजी में साइकोलॉजी (Psychology)

कहे हैं। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी तथा लॉगस से मिलकर हुई है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा (soul) तथा लॉगस का अर्थ है

अध्ययन (अवर्त्य) Psychology = Psyche + logos

अतः साइकोलॉजी का अर्थ हुआ "आत्मा का अध्ययन"। परन्तु वर्तमान समय में मनोविज्ञान के इन दोनों ही अर्थों को स्वीकार नहीं करते हैं। वास्तव में मनोविज्ञान का अध्ययन वर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में शताब्दियों पूर्व हुआ था। परन्तु धीरे-धीरे यह दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। इस प्रक्रिया में इसके अर्थ में अनेक बार परिवर्तन हुये जो निम्न प्रकार हैं -

"मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है"

① आत्मा के अध्ययन के रूप में - इस सिद्धान्त के प्रतिपादक यूनान में प्लेटो, अरस्तू और डिकार्टे आदि प्रसिद्ध रहे हैं क्योंकि साइकोलॉजी का अर्थ ही आत्मा के अध्ययन के रूप में लिया गया है। अतः इसका अर्थ आत्मा का विज्ञान या अध्ययन ही स्वीकार किया गया है। ये धारणा 16 वीं शताब्दी तक प्रचलित रही परन्तु बहुत से विवाद उत्पन्न हुए।

"मनोविज्ञान मन का विज्ञान है"

② मन के अध्ययन के रूप में - आत्मा के पश्चात् यह मनसा जाने लगा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इटली के प्रमुख दार्शनिक पोम्पेनाजी ने इसका जबरजस्त समर्थन किया, इनके साथ लॉक, काण्ट, हॉक्स आदि दार्शनिक भी आते रहे परन्तु उनके सम्बन्ध में भी वही विक्तें सामने आईं जो आत्मा के सम्बन्ध में उपस्थित हुईं।

③ चैतना के अध्ययन के रूप में - मानव एक चैतन प्राणी है चैतना जा

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

लाभ होता है स्थिति का ज्ञान, स्थिति का पूर्ण ज्ञान या स्थिति के जरों वृद्ध सीमा तक स्वीत रहना। चेतन होने के कारण ही प्रणी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है अमेरिका के विलियम जेम्स व जर्मनी के विलियम फ्लुण्ड ने इसको चेतना का विज्ञान कहा है। कि जेम्स ने ही सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किया परन्तु मनोविज्ञान चेतन का ही नहीं अचेतन और अचेतन का भी अध्ययन करता है। इसमें हम स्वयं को तो अध्ययन कर सकते हैं परन्तु इससे व्यक्ति की उपरोक्त अवस्थाओं का अध्ययन नहीं कर सकते अतः 19 वीं शताब्दी की यह धारणा भी 20 वीं शताब्दी तक आते-2 असफल होने लगी।

④ व्यवहार के अध्ययन के रूप में - 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में वॉटसन, कुडवर्थ, स्किनर आदि ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकृत किया, व्यवहार से तात्पर्य मनुष्यों की उन अंत क्रियाओं से था जो वे उद्दीपकों से प्रति करते हैं और जिनका निरीक्षण किया जा सकता है, आगे चलकर इसमें मानसिक व्यवहार, जीव व्यवहार, शारीरिक व्यवहार आदि सम्मिलित हो गये इन सभी के साथ ही मनोविज्ञान मनुष्य के बाह्य एवं आन्तरिक व्यवहार के रूप में प्रतिस्विकृत हुआ।

कॉलेसनिक - "मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है" उपरोक्त सभी विवेक पर कुडवर्थ ने कहा है - "सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसके अपने मन का त्याग किया और अब ये व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है।"

मनोविज्ञान की परिभाषाएँ -

मैकडूगल - "मनोविज्ञान आवरण एवं व्यवहार का अर्थ है।"

कुडवर्थ - "मनोविज्ञान वातावरण के सम्पर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है।"

वॉटसन - "मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है।"

गैरिसन व अन्य - "मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है।"

स्किनर - "मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है।"

पिट्सवरी - "मनोविज्ञान की सबसे सटीक जनक परिभाषा  
"मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है।"

मैन - "आधुनिक मनोविज्ञान का सम्बन्ध व्यवहार की वैज्ञानिक रीति से है।"


Note - William James - "Principle of Psychology" को मनोविज्ञान की आधारशिला माना जाता है।

मनोविज्ञान की विशेषताएँ -

- ① मनोविज्ञान एक विधायक (Positive) विज्ञान है।
- ② मनोविज्ञान भौतिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के वातावरण का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मनुष्यों एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के अन्तर्गत मानव प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनुष्य एवं वातावरण के पारस्परिक अंतः क्रिया का अध्ययन किया जाता है।

शिक्षा व मनोविज्ञान का सम्बन्ध - (Relation b/w Education &

Psychology) - शिक्षा व मनोविज्ञान दोनों ही व्यक्ति को मनुष्य बनाना चाहते हैं। शिक्षा का प्रमुख कार्य है मनुष्य के व्यवहार में संशोधन और मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है मानव के व्यवहार का अध्ययन के अभाव में संशोधन नहीं किया जा सकता इसीलिए शिक्षा व मनोविज्ञान दोनों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि हम चाहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास हो तो शिक्षा के साथ मनोविज्ञान की जोड़ना ही होगा।



शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय मनो-  
विज्ञान है।

① मनोविज्ञान एवं शिक्षा के उद्देश्य - आज की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास कर उसे जीविकोपार्जन के लिए भी तैयार करना है इसके लिए आवश्यक है कि बालक की शिक्षा उन्ही उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दी जाये जो उसके भावी जीवन के लिए आवश्यक हैं।

② मनोविज्ञान व पाठ्यक्रम - पहले समय में पाठ्यक्रम के सब विषय सब बालकों के लिए अनिवार्य होते थे, इसके अतिरिक्त वह पूर्ण रूप से उस्तनीय था। मनोविज्ञान ने पाठ्यक्रम के इन दोषों की कटु आलोचना की है। यह इस बात पर बल देता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आयु, रुचियों एवं मानसिक योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए।

③ मनोविज्ञान व पाठ्यपुस्तकें - पहले पाठ्य पुस्तकें संस्कृत तथा कनिष्ठा भाषा में लिखी जाती थीं परन्तु अब मनोविज्ञान के पाठ्यपुस्तकों को बाल केन्द्रित शिक्षा के आधार पर रचिकर सरल ढंग के मनोविज्ञान को ध्यान रखकर बनाया है।

④ मनोविज्ञान व समयसारणी - पहले बच्चों को एक ही विषय का ज्ञान लम्बे समय तक दिया जाता था, परन्तु अब मनोविज्ञान द्वारा यह समझा जा सकता है कि बच्चों को किस विषय को समझने में परेशानी हो रही है। उस विषय को समय सारणी में ज्यादा समय दिया जा सकता है।

Page No. \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_  
⑤ मनोविज्ञान व शिक्षण विधियाँ - प्राचीनकाल में बालक केवल गान गीत होते ही गुरु की बात को कंठस्थ करते थे। मनोविज्ञान ने इस शिक्षण विधियों में आमूल परिवर्तन कर दिये हैं। इसी विधि का अतिकार किया जिससे बालक स्वयं सीख सकता है। इस उद्देश्य से बालक करके सीखना खेल द्वारा सीखना, चलचित्र आदि शिक्षण में शामिल किये गये।

⑥ मनोविज्ञान व दृश्य - श्रवण साधन - मनोविज्ञान के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि अगर बालक व्याख्यान विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं है तो उसे श्रवण दृश्य साधनों के द्वारा ज्ञान दिया जाता है।

⑦ मनोविज्ञान व अनुशासन -

(i) दाल्म अनुशासन (ii) कठोर अनुशासन (iii) द्वार्थिक अनुशासन

पहले समय में बालकों को अनुशासन में रखने की केवल एक विधि थी शारीरिक दण्ड। मनोविज्ञान ने दण्ड, गप, कठोरता पर आधारित अनुशासन को सारहीन प्रमाणित किया, इसके आधार पर उसने प्रेम, प्रशंसा, सहानुभूति के अनुशासन के कहीं अरुद्ध आधार कथये हैं। वह उन्हें अनुशासनहीनता के कारणों को खोजने तथा उन्हें दूर करने का परामर्श देती हैं।

⑧ मनोविज्ञान व विद्यालय प्रशासन -


9) मनोविज्ञान व मूल्यांकन - बालकों द्वारा अधिष्ठित किये जाते वाले ज्ञान का मूल्यांकन पहले से मौखिक और लिखित परीक्षा आयोजित की जाती थी। इन परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के लिए मनोविज्ञान ने अनेक नई विधियों की रचना की हैं। जैसे - कुई परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा आदि।

10) मनोविज्ञान व अध्यापक -

शिक्षा - मनोविज्ञान - शिक्षा मनोविज्ञान वस्तुतः मनोविज्ञान की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा-मनोविज्ञान की शब्दों के खेल से बना है।

शिक्षा मनोविज्ञान = शिक्षा + मनोविज्ञान

अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ शिक्षा से सम्बन्धित मनोविज्ञान से है।



मानव विकास - मानव विकास की अवस्थाएं मानव की वृद्धि व विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया हैं, जो कि बालक को असहाय शिशु से आत्म-निर्भर प्रौढ़ बनाती हैं।

वृद्धि व विकास की यह प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही माता के गर्भ में प्रारंभ हो जाती है व जीवनपर्यन्त चलती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि व विकास की प्रक्रिया का अत्यन्त महत्व है। क्योंकि आयु बढ़ने के

साथ-साथ बालक की योग्यताओं व क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। इसलिए शैक्षिक कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय बालकों की आयु व उनके विकास की अवस्था का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है।

**वृद्धि व विकास का अर्थ** - वृद्धि व विकास को प्रयुक्त समानार्थक अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। व साधारण अर्थों में दोनों को एक ही समझा जाता है क्योंकि निःसंदेह दोनों ही अर्थ बढ़ने की ओर संकेत करते हैं। वृद्धि व विकास के अर्थों को समझने के लिए हमें उपास्यता अन्तः संरचना आवश्यक होगा। सामान्य रूप में वृद्धि का अर्थ को शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ को शैक्षिक वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के सभी अंगों में आगे परिवर्तनों से है। अतः स्पष्ट है कि विकास में वृद्धि का भाव निहित होता है। किंतु यह वृद्धि से अधिक व्यापक व स्वीकृत होता है।

**मानव अभिवृद्धि** - मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव शरीर के अंगों का आकार, भार व कार्य शक्तियों में होने वाली परिपक्वता से होता है। इस परिवर्तन ने उसके शरीर रचना के बाह्य तथा आन्तरिक अंग दोनों ही आजते हैं।

**बाह्य अंग** - मनुष्य की यह अभिव्यक्ति एक निश्चित आयु (18-20 वर्ष) तक होती है वृद्धि पूर्ण होने पर बालक को परिपक्व व्यक्ति कहते हैं। फुंक अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है जैसे लंबाई व भार में

बृद्धि होती है।

उपरोक्त समस्त विवेचनाओं से यह निश्चित-पूर्वक कहा जा सकता है कि मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य व आंतरिक अंगों के आकार, भार एवं कार्यक्षमता में होने वाली उस वृद्धि से होता है, जो गर्भावस्था से शुरू होकर परिपक्वता तक चलती रहती है।

मानव विकास - मानव विकास से तात्पर्य व्यक्ति की अभिवृद्धि के साथ-साथ उसके शारीरिक एवं मानसिक व सामाजिक व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों से है। मानव की वृद्धि एक निश्चित समय पर होती जाती है परंतु उसका विकास निरंतर चलता रहता है। अतः कहा जा सकता है कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती है।

हरलॉक के अनुसार, "विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित होता है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं।

उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि मानव विकास एक निरंतर एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है, जिससे द्वारा व्यक्ति में मात्रात्मक व गुणात्मक वृद्धि होती है, नमी-नमी योग्यताएं व विशेषताएं प्रकट होती हैं व उसके व्यवहार में पूर्वगामी परिवर्तन होता है।

\* वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धान्त -

1. निरन्तरता का सिद्धान्त
2. व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धान्त

3. परिमार्जता का सिद्धांत
4. निश्चित वृद्धि का सिद्धांत
5. समन्वय का सिद्धांत
6. वंशानुकुल व वातावरण का सिद्धांत
7. कुम्बहृत्ता का सिद्धांत
8. साक्षिप्तता का सिद्धांत
9. समान प्रतिमान का सिद्धांत

\* वृद्धि व विकास में अंतर -

मानव अभिवृद्धि

मानव विकास

मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार व भार में होने वाली वृद्धि से है।

1. मानव विकास वृद्धि के साथसाथ उसके ज्ञान, कौशल व व्यवहार में होने से होता है।

मानव अभिवृद्धि शारीरिक अंगों एवं कार्यक्षेत्र में होने वाली वृद्धि है।

2. मानव विकास में शारीरिक व मानसिक क्रियाएं में परिवर्तन आशा, ज्ञान में वृद्धि संवेगों का निर्माण, सामाजिक व चरित्रिक विकास से होता है।

3. मानव वृद्धि की एक सीमा होती है जिसे हम परिपक्वता कहते हैं।

3. मानव विकास का कोई सीमा नहीं होती है ये जीवनपर्यन्त होता रहता है।

4. मानव अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है जिसका मापन यंत्रों द्वारा किया जा सकता है।

4. मानव विकास मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक भी होता है मात्रात्मक का मापन यंत्रों से किया जा सकता है परन्तु गुणात्मक मापन के लिए विशेष विधियां एवं युक्तियों का प्रयोग किया जाता है।

\* मानव विकास की अवस्थाएँ -

- ① शैशवावस्था
- ② बाल्यावस्था
- ③ किशोरावस्था
- ④ युवावस्था

मानव विकास एक सतत अभिक्रिया है, जहाँ तक बात उसके शारीरिक विकास के बारे में की जाये तो वह एक अवस्था को प्राप्त करने के बाद एक जाती है। परन्तु शारीरिक विकास के अतिरिक्त उससे सम्बन्धित अन्य विकास लगातार होते रहते हैं। यह विकास उसकी विभिन्न आयु पर, विभिन्न स्तरों पर होता है। इन आयु स्तरों को ही मानव विकास की अवस्थाएँ कहते हैं।

वैसे इन स्तरों को विभिन्न विद्वानों ने कई प्रकार से वर्गीकृत किया है परन्तु सर्वाधिक मान्यता 'अर्नेस्ट जोन्स' के वर्गीकरण को मिलती है। इस समय अधिकतर विद्वान मानव-विकास का अध्ययन इन चार अवस्थाओं के मध्य करते हैं -

- ① शैशवावस्था - 0-6 वर्ष
- ② बाल्यावस्था - 6-12 वर्ष
- ③ किशोरावस्था - 12-18 वर्ष
- ④ प्रौढावस्था / युवावस्था - 18 से अन्त तक। (15-35) वर्ष

① शैशवावस्था - (Infancy) यह व्यक्ति के जन्म के बाद की प्रथम अवस्था है। इसमें नवजात शिशु का विकास होता है इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। शैशवावस्था शब्द शिशु से विकसित हुआ है जिसे अंग्रेजी भाषा में Infancy कहते हैं। Infancy लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है In + fancy, जिसमें In का अर्थ होता है 'नहीं' और fancy का अर्थ होता है 'बेलना'। अर्थात् - यह मानव विकास की वह अवस्था है

जब कि मानव नीले के अयोग्य होता है।

परन्तु बालक 3 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते साधारण भाषा का प्रयोग करने लग जाता है।

वास्तव में 0-3 वर्ष की अवस्था ही शैशवावस्था कहलाती है। और 3-6 वर्ष की अवस्था को पूर्वबाल्यावस्था कहा जाता है। परन्तु जब मानव के विकास को

चार भागों में बाँटा गया है तब इस आधार पर 0-6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था मानी जाती है। यह

वह अवस्था है जो बालक के सम्पूर्ण भविष्य जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए इसी को जीवन का

आधार माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जीवन के प्रथम 5-6 वर्षों में शरीर व मस्तिष्क अल्पतः ग्रहण

शील होते हैं। इस अवस्था में बालक जो कुछ भी सीखता या सीखाया जाता है उसका बालक के अपर

अमित प्रभाव पड़ता है।

④ शारीरिक विकास - मानव के शारीरिक विकास की नींव शिशुकाल में ही रखी जाती है। इस

आयु में बालक स्वयं उठना, बैठना, चलना सीखता है।

फ्रायड - "जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक अपने भविष्य जीवन के लिए नींव रख लेता है।"

→ शारीरिक विकास की अन्य विशेषताएँ -

- ① शारीरिक विकास में तीव्रता।
- ② अनुपात में परिवर्तन।
- ③ दाँतों का विकास।
- ④ हड्डियों व मांसपेशियों का विकास।
- ⑤ नाड़ी संस्थान।
- ⑥ पाचन तन्त्र।

⑥ मानसिक विकास - मानसिक विकास की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से होती है। भाषा विकास,

स्मरण शक्ति, कल्पना, तर्कशक्ति, रुचियाँ, आदिते तथा संस्था-  
समाधान आदि पक्ष इसके व्यवहार में शामिल होने लगते  
हैं।

→ अन्य विशेषताएँ :-

- ① भाषा का विकास
- ② प्रश्न पूछना
- ③ शरीरियों का विकास
- ④ रुचियों का विकास
- ⑤ कल्पना शक्ति का विकास।
- ⑥ संवेगात्मक विकास।

① संवेगात्मक विकास - जन्म के समय शिशु केवल उत्तेजना  
का अनुभव करते हैं। एक माह का  
छोटे-छोटे वे सुख और दुःख का अनुभव करने लगते हैं।  
प्रथम वर्ष में उनमें प्रेम, क्रोध, भय आदि के संवेग  
विकसित हो जाते हैं। 1 वर्ष का शिशु यह चाहने लगता  
है कि उससे सम्बन्धित सभी लोग उससे प्यार करें।  
यदि कोई उसके मार्ग में बाधा डालता है तो वह क्रोध  
करने लगता है। 3 वर्ष की आयु तक उनमें लगभग सभी  
संवेगों का विकास हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक शिशु  
के रोने, चिल्लाने तथा हाथ, पैर फेंकने की क्रियाओं को  
संवेग पूर्ण क्रिया मानते हुए कहते हैं कि शिशु  
जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार करने लगता है।

② सामाजिक विकास - शैशवावस्था के प्रारम्भिक वर्ष में  
शिशु में सामाजिक भावना का  
प्रभाव रहता है। वह अकेले ही खेलना चाहता है।  
प्रथम 2 वर्षों तक शिशुओं का व्यवहार मूल-प्रवृत्ति  
से प्रेरित होता है, और वे स्वकेन्द्रित होते हैं। अपना  
ही सुख उनके लिए सभी कुछ होता है। 2 वर्ष

का होते हैं वे अपने माता-पिता को छरान-देरना चाहते हैं परन्तु इस अवस्था में समजापु के बालक को रीखा करते हैं। तीन वर्ष की आयु पूरी करते हुए शिशु समजापु शिशु के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगते हैं। उनके साथ खेलना पसन्द करते हैं। 6 वर्ष तक नन्ही समजापु की भाषा सीख जाते हैं वही का आकर उसे लगते हैं दोठों से प्रेम प्रदर्शित करते हैं और समाज में अपना समापोजन करने लगते हैं।

<sup>मुख्य</sup>  
\* शैशवावस्था की विशेषताएँ - शैशवावस्था के बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक के साथ-साथ नैतिक विकास की दृष्टि से निम्न विशेषताएँ पायी जाती हैं -

- (i) शारीरिक विकास की तीव्र गति।
- (ii) मानसिक क्षमताओं में तीव्रता।
- (iii) अनुकरण एवं कौशलि की प्रवृत्ति।
- (iv) भाषा विकास की तीव्र गति।
- (v) जिज्ञासा प्रवृत्ति।
- (vi) कल्पना करने की प्रवृत्ति।
- (vii) सीखने की तेज प्रक्रिया।
- (viii) खेल की प्रवृत्ति।
- (ix) संवेगात्मक विकास।
- (x) सामाजिक विकास।
- (xi) परनिर्भरता।
- (xii) स्वप्रेम की भावना।
- (xiii) मूल प्रवृत्तियों पर व्यवहार प्रदर्शन।
- (xiv) काम प्रवृत्ति की स्थापना।
- (xv) नैतिकता का अभाव।

\* शैशवावस्था में शिक्षा - शिक्षा की दृष्टि से मानव जीवन में

शैशवावस्था का अत्यन्त महत्व है। क्लेगरेन ने तो इस अवस्था को रीरवने का आवधिकाल कहा है। उक्त इस आधार पर बिकार से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है -

- (i) उचित वातावरण ।
- (ii) पालन पोषण ।
- (iii) स्नेहपूर्ण व्यवहार ।
- (iv) जिज्ञासा की पूर्ति ।
- (v) सामाजिकता का अभाव ।
- (vi) मानसिक क्रियाओं के अवसर ।
- (vii) वार्तालाप के अवसर ।
- (viii) आत्म प्रदर्शन ।
- (ix) अच्छी आदतों का निर्माण ।
- (x) व्यक्तिगत विन्दुओं <sup>में</sup> पर ध्यान देना ।
- (xi) करके सीखना । (मूल्यांकन)

3) बाल्यावस्था - (6 वर्ष - 12 वर्ष) बाल्यावस्था से ताल्पर्य बच्चों की 6-12 वर्ष तक की अवस्था से होता है। यह जन्म के उपरान्त मानव विकास की दूसरी अवस्था है जो कि शैशवावस्था की समाप्ति पर प्रारम्भ होती है। बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बालक अपने वातावरण से काफी सीमा तक परिचित हो जाता है। वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार सीख जाता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारम्भ भी इसी अवस्था में प्रारम्भ होता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अव-  
शकता है। दो भाग → (6-9) (9-12)

आकार (इसमें केवल शरीर में मजबूती आती है आकार में व्यापक)

\* बाल्यावस्था में शारीरिक विकास - बाल्यावस्था के प्रथम चरण में (6-9 वर्ष)

लम्बाई व आर दोनों में वृद्धि होती है इन तीन वर्षों में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में लम्बाई व आर में अधिक वृद्धि होती है। इस काल में लड़के शारीरिक शक्ति का संचय करते हैं। अतः यह संचय बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है।

- (i) आकार व आर।
- (ii) शारीरिक अनुपात।
- (iii) मांसपेशियों में तालमेल।
- (iv) दाँत।
- (v) नाड़ी संस्थान।
- (vi) ज्ञानेन्द्रिया।
- (vii) पाचन संस्थान।

\* मानसिक विकास - 6 वर्ष की आयु के पश्चात् बच्चों में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मृति आदि करने का विकास हो जाता है साथ ही वह चिन्तन व तर्क करना सीख जाते हैं। पढ़ने-लिखने में रुचि लेने लगते हैं। समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है जैसे -

- ① भाषा का विकास।
- ② अदृश्य प्रश्न।
- ③ विचार शक्ति का विकास।
- ④ ज्ञानेन्द्रिया तीव्र।
- ⑤ कल्पना के रंग।
- ⑥ धारणाएँ।
- ⑦ खचियों का विकास।
- \* ⑧ संवेगात्मक विकास।

\* संवेगात्मक विकास - बाल्यावस्था में मूल रूप से शैशवावस्था में विकसित संवेगों की

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

अभिव्यक्ति होती है। वस उनकी अभिव्यक्ति में अंतर होता है। शैशवावस्था में बच्चे अपने साथियों के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति सुस्काराकर, स्पर्श कर या खेलकर करते हैं। परन्तु चात्पावस्था में उनके साथ रहकर सुखदुःख में शामिल होने या उनकी सहायता कर के करते हैं। इसके बाद बालक परिस्थितियों के अनुसार अपने संवेगों को नियंत्रित करना अथवा प्रकट करना सीख जाते हैं।

- ① अय ।
- ② चिन्तारं ।
- ③ क्रीडा ।
- ④ ईवर्था ।
- ⑤ खुशी ।
- ⑥ स्नेह परिवर्तन ।
- ⑦ उत्सुकता ।
- \* ⑧ सामाजिक विकास ।

\* सामाजिक विकास - इस समय में सामूहिकता की मूल अधिक क्रियाशील हो जाती है वे अपने साथियों के साथ रहना पसन्द करते हैं। सामाजिक समारोह में शामिल होना चाहते हैं। समाज के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। बालक सकारात्मक व्यवहार के साथ नकारात्मक व्यवहार करने लगते हैं। उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, वे किसी भी प्रकार से एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं।

- ① विद्यालयी सामंजस्य ।
- ② समूह निर्माण ।
- ③ नकारात्मक प्रवृत्ति ।
- ④ चरित्र निर्माण ।

## \* बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएँ -

- ① शारीरिक विकास में स्थायित्व । ✓
- ② मानसिक योग्यताओं में विकास ।
- ③ रुचियों में परिवर्तन ।
- ④ (बहुमुखी) व्यक्तित्व ।
- ⑤ वास्तविक जगत में रुचि ।
- ⑥ आत्म निर्भरता ।
- ⑦ सृजनात्मकता ।
- ⑧ संवेगों पर नियन्त्रण ।
- ⑨ सामाजिक विकास ।
- ⑩ नैतिक विकास ।
- ⑪ नई चीजों को सीखना ।

## \* बाल्यावस्था में शिक्षण -

बाल्यावस्था में तो बालक बहुत तेजी से सीखते हैं परन्तु उसका क्षेत्र सीमित होता है

बाल्यावस्था में बालक सीखते तो कम हैं परन्तु उसका क्षेत्र विस्तृत होता है इसी अवस्था में वह पूर्व में प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाने का विकास/पुनर्स्थापना करता है

- ① शारीरिक विकास में सहायता ।
- ② मानसिक योग्यता में विकास ।
- ③ जीवन से सम्बन्धित ज्ञान ।
- ④ संवेगों का विकास ।
- ⑤ सामाजिक विकास ।
- ⑥ नैतिक विकास ।
- ⑦ समाज व राष्ट्रप्रेम की भावना ।
- ⑧ प्रोजेक्ट कार्य को बढ़ावा ।
- ⑨ भाषा का विकास ।

- ⑩ रचनात्मक कार्य।
- ⑪ प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा।
- ⑫ क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा।
- ⑬ पाठ्य सहाय्यी क्रियाएँ।
- ⑭ शिक्षण विधियों में परिवर्तन।

विलियम ब्लैयर, जोन्स व सिंपसन के अनुसार - "बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण और मूल्यों, आदर्शों का बड़ी सीमा तक निर्माण हो जाता है" (मूल्यांकन)

③ किशोरावस्था - यह मानव विकास की तीसरी अवस्था है जो बाल्यकाल के बाद और प्रौढावस्था के पूर्व की व्यवस्था है। व्यक्तिगत भेदों, पल्लवायु के कारण इसकी अवधि में कुछ अन्तर पाया जाता है परन्तु फिर भी प्रायः 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है।

{ बाल्यावस्था तथा प्रौढावस्था के बीच का अंधि-काल होने के कारण इसे जीवन का सबसे कठिन एवं महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्थाओं के बीच में घिरा रहता है। उसके विचारों को न तो बालक के रूप में समझा जाता है और न ही एक व्यस्क के रूप में स्वीकृति मिलती है।

Adolescence किशोरावस्था को अंग्रेजी में Adolescence जो कि लैटिन भाषा के Adolescere शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है 'to grow to maturity' (परिपक्वता की ओर बढ़ना)। अतः किशोरावस्था, वह

अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर आग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है।

डॉ. स्टीवेंस पैट्रिक के अनुसार - "इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कार्य है।"

बैर, जॉन्स व सिम्पसन - "किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अन्त में प्रारम्भ होता है और प्रौढावस्था के आरम्भ में समाप्त होता है।"

असिंजुगल पिरी नजर में किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन एवं महत्वपूर्ण समय इसलिये है कि - अपने विचार

\*किशोरावस्था में शारीरिक विकास - इस अवस्था में किशोरों की लंबाई व भार दोनों में वृद्धि होती है। साथ ही मांसपेशियों में वृद्धि होती व उनमें हड़ता आती है। 12-14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में शारीरिक विकास अधिक तेजी से होता है। समान उम्र की होने पर लड़कियाँ लड़कों से बड़ी दिखाई देती हैं। इस समय लड़के व लड़कियाँ दोनों की हड्डियाँ पूर्ण मजबूत हो जाती हैं। उनके सभी वाह्य एवं आन्तरिक अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। इसी अवस्था में गौनाई ग्रन्थियों के क्रियाशील होने के कारण पुंजनन अंगों का विकास होकर उनमें काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस समय वे सर्वप्रथम अपने शारीरिक अंगों के प्रति आकर्षित होते हैं व सुडौल एवं सुन्दर बनाने का प्रयत्न करते हैं।

बिंग एवं हाइन, "किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम प्रकार से व्यक्त करने वाला एक शब्दक्षण है -

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

परिवर्तन । परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होता है।

\* मानसिक विकास - इस अवस्था तक आते-आते किशोर-किशोरियों की बुद्धि पूर्ण विकसित हो जाती है, स्मरण व ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, उनमें स्थायित्व आने लगता है। कल्पना, चिन्तन, विश्लेषण आदि तत्व उनके द्वारा लिए गये निर्णय समाहित होने लगते हैं। वे किसी भी प्रकार की समस्या व उसका समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। इसी अवस्था में अपने स्वास्थ्य, वैष-शुभा व जीवन मूल्यों में अपने चरम की प्राप्ति करते हैं।

\* संवेगात्मक विकास - संवेदनशीलता अपने चरम स्वरूप पर होती है। उनमें प्रेम, भय, चिन्ता, क्रोध ईर्ष्या आदि के साथ-साथ आत्म सम्मान की प्रबल भावना होती है। समूह में अपनी स्थिति को लेकर बालक बहुत सचेत रहते हैं। इस उम्र के किशोर अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं एवं किशोरियां अपने शारीरिक सौंदर्य का प्रदर्शन करती हैं। इसके साथ-सू तीव्र प्रकार की अविष्य की चिन्ता प्रबल रूप में रहती है।

→ जीवनसाथी

→ व्यवसाय

→ समाज में स्थान

इन्हीं चिन्ताओं के कारण उनका मानसिक संतुलन भासा व निराशा के बीच घूमता रहता है। इसलिए इस अवस्था को खिंचाव या तनाव की अवस्था भी कहते हैं।

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

**\*सामाजिक विकास -** इस अवस्था में बालक समाज के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में रुचि लेने लगते हैं। इससे उनमें सामाजिक परिपक्वता आती है। वे अच्छा या बुरा समझने लगते हैं। इस उम्र में वे घर से ज्यादा अपने मित्रों को स्थान देते हैं। मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास होता है। एक या दो स्थाई मित्र भी बनते हैं। जिनसे वे अपने मन की समस्याएँ बताने करते हैं। बिषमालिगीय आकर्षण बनने के कारण वे उनसे बात करने एवं उनसे मिलने की आनन्द का अनुभव करते हैं। इसी समय उनका नैतिक विकास होना प्रारंभ होता है। आत्म-सम्मान, समाज व राष्ट्र-सेवा एवं त्याग की भावना का भी विकास होता है। दूसरों को सुखी देखने के लिए वे अपने सुख का भी त्याग कर देते हैं। लोकप्रिय नेता, अभिनेता, कलाकार एवं खिलाड़ियों के प्रति उनमें आकर्षण बढ़ता है और वे अपनी रुचि के अनुसार उनके जैसे ही दिखना चाहने लगते हैं। विविध क्षेत्रों में अपने-अपने गुणों का निर्माण कर वे विभिन्न प्रकार प्रारम्भिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देने लगते हैं।

**\*किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएँ -**

1. तीव्र शारीरिक परिवर्तन
2. हड्डियों व मांस पेशियों का तेजी से विकास
3. शारीरिक अनुपात में परिवर्तन
4. आवाज में परिवर्तन
5. बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का विकास
6. समायोजन का अभाव
7. धनिष्ठ मित्रता
8. इच्छाओं व कल्पनाओं का बाहुल्य

9. राधियों में स्थायित्व
10. आत्म-समग्न की भावना
11. काम-शक्ति की परिपक्वता
12. समूह को महत्व
13. स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना
14. अच्छी-खुरी आदतों का विकास
15. भविष्य की चिन्ता
16. समाज सेवा की भावना
17. ईश्वर व धर्म में विश्वास
18. संवेगात्मक अभ्यस्तता
19. उच्च कौटि की संवेदनशीलता
20. वीर-पूजा की भावना
21. स्वाभिमान की भावना
22. अपराध-प्रवृत्ति की भावना
23. उदासीनता व उद्वेग
24. आत्मवृद्धि की भावना या स्वप्रेम की भावना
25. सामाजिक राधियों का विकास
26. जीवन दर्शन का निर्माण
27. व्यापक वफादारी की भावना
28. गुप्त भाषा का निर्माण

\* किशोरावस्था का शिक्षा - स्टेनले हॉल के अनुसार, "किशोरा-वस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है।"

किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन महत्वपूर्ण व नाजुक समय होता है। इस अवस्था में लड़के, लड़कियों के शरीर एवं मन-मास्तिष्क के बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तनों में यौन शक्ति के उदय व मानसिक परिवर्तनों में संवेग की तीव्रता उनके व्यवहार को झकझोर देती है। यदि

इस अवस्था में उनको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाये, तो किशोरों के द्वारा बांझित किशा में प्रगति करने की संभावना बढ़ जाती है। ये उनके बचने या बिगड़ने का समय होता है। यदि इस समय उनके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो वे बन जाते हैं अन्यथा बिगड़ जाते हैं। किशोरों के भावी जीवन निर्माण की दृष्टि से माता-पिता अध्यापक तथा समाज का यह कर्तव्य ही जाता है कि इस महत्वपूर्ण अवस्था में उनके लिए उपयुक्त एवं सुनियोजित शिक्षा की व्यवस्था है।

\* किशोरवस्था व शिक्षा के उद्देश्य - शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में शिक्षा के निम्न उद्देश्य होने चाहिए -

1. शारीरिक विकास में सहायता करना।
2. मानसिक विकास में सहायता करना।
3. उचित संवेगों का निर्माण करना।
4. उपयुक्त सामाजिक विकास करना।
5. उचित मूल्यों व नैतिक विकास का निर्माण।
6. क्षमता व योग्यतानुसार व्यवसायिक शिक्षा देना।
7. समाज सेवा व राष्ट्रीय शक्ति के भाव को विकसित करना।

\* किशोरवस्था व शिक्षा की पाठ्यचर्या -

1. शारीरिक विकास - शरीर विज्ञान का ज्ञान, खेल-कूद, व्यायाम व समन्वित परिचर्या।
2. मानसिक विकास - भाषा, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, भ्रमण एवं स्वयंकारके सीखना।

3. अंगित संवेग निर्माण - साहित्य, कला, संगीत साहित्यिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं एवं समाज सेवा।

4. सामाजिक विकास - सामूहिक शिक्षण, सामूहिक कार्य, सांस्कृतिक क्रियाएं, स्कूलाउटिंग, एन.एस.एस. व भ्रमण।

5. मूल्य व नैतिक शिक्षा - भाषा, साहित्य, इतिहास, धार्मिक व नैतिक शिक्षा।

6. व्यवसायिक शिक्षा - विद्यार्थियों की रुचियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षा जैसे - फोटोग्राफी, पेंटिंग, वाणिज्य कंप्यूटर आदि।

7. समाज सेवा व राष्ट्र भक्ति - संबंधित साहित्य इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन सागरी, महापुरुषों के जीवन दर्शन, समाज सेवा कार्य राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन एवं संबंधित में नाटक इत्यादि किशोरावस्था व

\* अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ -

- ① शारीरिक विकास के लिए शिक्षा।
- ② व्यक्तिगत-विभिन्नता के आधार पर शिक्षा।
- ③ यौन शिक्षा।
- ④ उपर्युक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग।
- ⑤ दसकों की तरह व्यवहार।
- ⑥ उचित बेश-भूषा।
- ⑦ उत्तरदायित्व के कार्य।
- ⑧ माता-पिता का सहयोग।
- ⑨ निर्देशन केन्द्र।

\* किशोरावस्था की आवश्यकताएँ -

- ① निर्भरता से स्वतन्त्रता की आवश्यकता।
- ② विरोधी लिंग से मिलन की आवश्यकता।
- ③ जीवन दर्शन की आवश्यकता।
- ④ आत्म-पहचान की आवश्यकता।
- ⑤ अच्छा भोजन की आवश्यकता।
- ⑥ नये अनुभवों की आवश्यकता।

\* किशोरावस्था की समस्याएँ -

- ① आवश्यकताओं स्व-इच्छापूर्ति की <sup>समस्या</sup> इच्छा।
- ② नियन्त्रण से छुटकारे की <sup>समस्या</sup> इच्छा।
- ③ समापोजन की <sup>समस्या</sup> इच्छा।
- ④ यौन <sup>समस्या</sup> इच्छा।
- ⑤ आत्मसम्मान स्व-स्तर की <sup>समस्या</sup> इच्छा।
- ⑥ अविवेक की चिन्ता की <sup>समस्या</sup> इच्छा।
- ⑦ नैतिक विकास की <sup>समस्या</sup> इच्छा।

वी.एन. झा - " किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती है वहीं परिस्थिति उसे दूसरे अवसर पर खिन्न कर देती है। "

\* अधिगम - सीखना एक निरन्तर चलने वाली आदिभौतिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारम्भ कर देता है तथा मृत्यु होने तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। हालाँकि परिस्थिति के अनुसार सीखने की गति धीमी या बढ़ती रहती है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता है। व्यक्ति कहीं भी कुछ भी किसी से भी सीख सकता है। शिक्षण के क्षेत्र में सीखना ही अधिगम कहलाता है। ध्यान से देखा जाय तो अधिगम शिक्षा प्रक्रिया का एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंग होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मनोविज्ञानियों की दृष्टि में सीखने की प्रक्रिया का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक कि मनुष्य के व्यवहार में कोई परिवर्तन न हो।

मनुष्य के कुछ कार्य जैसे साँस लेना, चलना, झपकाना, देरना, सुनना, हाथ-पैर हिलाना, उठना, बैठना, चलना, आवास करना, प्राणों की रक्षा के लिए शरण, भोजन की तलाश करना आदि मूल प्रवृत्ति के व्यवहार हैं। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए मनुष्य कहीं सीखने नहीं जाता। अतः यह कार्य अनअर्जित कार्य कहलते हैं। परन्तु अन्य कार्य जैसे लिखना, भाषा सीखना, पैड़ पर चढ़ना, तैरना, मोटर साइकिल चलाना, धरेलू कार्य करना आदि अर्जित कार्य हैं। और इन कार्यों को ग्रहण करने की प्रक्रिया सीखना या 'अधिगम' कहलाती है।

\* परिभाषा -

① कुडवर्थ - "नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है।"

\*2) क्री एण्ड को - "सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है।"

3) गेह्स व अन्य - "अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का सुधार अधिगम है।"

4) स्किनर - "अधिगम व्यवहार में प्रगतिशील अनुकूलन की एक प्रक्रिया है।"

\*5) गिलफीर्ड - "व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है।"

6) ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन - "व्यवहार में कोई ऐसा परिवर्तन जो अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है और जो व्यक्तियों को उगे जाने वाली परिस्थितियों का विशिष्ट के साथ सामना करने में सहायक होता है, उसे सीखना कहते हैं।"

उपरोक्त समस्त परिभाषाओं के आधार पर निवर्ध रूप में कहा जा सकता है कि सीखने का अर्थ है - अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण अथवा अध्ययन आदि किसी भी विधि से नये-नये तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना और नई-नई छिपाओं का ज्ञान प्राप्त कराने तथा साथ ही इन्हें बहुत दिनों तक धारण करना और आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग करना और इस प्रकार अपने व्यवहार को सही दिशा देना।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कुछ तथ्यों की ओर संकेत दिया जा सकता है -

- Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_
- (i) अधिगम का अर्थ व्यवहार परिवर्तन है।
  - (ii) अधिगम व्यवहार का समीक्षण है।
  - (iii) अधिगम नवीन प्रक्रिया की प्रक्रिया है।

\* अधिगम निहित तत्व -

- ① अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है।
- ② अधिगम की प्रक्रिया सदैव उद्देश्य पूर्ण होती है। जो व्यक्ति को समायोजन तथा समुकलन के लिए तैयार करती है।
- ③ अधिगम का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होता है क्योंकि हमें मानव व्यवहार के सभी क्षेत्र जैसे - ज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोचालक सम्मिलित रहते हैं।
- ④ अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है परन्तु बीमारी, विमारी, थकान, सैवात्मक स्थिति, मादक द्रव्यों का सेवन आदि विकारण व्यवहार में आये परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जा सकता।
- ⑤ अधिगम प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यक्ति के द्वारा अधिगम के दौरान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा होती है।
- ⑥ अधिगम सदैव सकारात्मक नहीं होता - कभी - 2 यह नकारात्मक भी हो सकता है।
- ⑦ अधिगम सदैव नवीन नहीं होता बल्कि यह पूर्व व्यवहार का संशोधन भी होता है।
- ⑧ अधिगम प्रक्रिया सार्वभौमिक व सतत होती है अर्थात् सभी जीव धारी सीखते हैं तथा सीखना किसी आयु लिंग, भेद, जाति, प्रजाति विशेष तक सीमित नहीं होता।
- ⑨ अधिगम लगातार स्थायी प्रवृत्ति का व्यवहार संशोधन होता है।
- ⑩ अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित

होता है।

- ⑩ अधिगम में भ्रूव प्रवृत्ति तथा प्रतिद्वेद क्रिया जैसे-  
जन्मजात व्यवहार प्रवृत्तियों के कारण आये परिवर्तन  
सम्मिलित नहीं होते।

\* अधिगम की विशेषताएँ- अधिगम प्रक्रिया को अच्छी तरह  
से समझने के लिए मनोवैज्ञानिक  
याक्रम व सिम्पसन ने अधिगम की निम्न विशेषताएँ  
बतलाई हैं -

- ① अधिगम विकास है।
- ② अधिगम अनुकूलन है।
- ③ अधिगम अनुकूलन का संगठन है।
- ④ अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है।
- ⑤ अधिगम विवेकपूर्ण होता है।
- ⑥ अधिगम सृजनशील होता है।
- ⑦ अधिगम क्रियाशील होता है।
- ⑧ अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होते हैं।

सिम्पसन के अनुसार "सीखना सामाजिक है क्योंकि किसी भी  
प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का  
सीखना असम्भव है।"

- ⑨ सीखना वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है।
- ⑩ अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है।
- ⑪ अधिगम खोज करना है।

मर्सेल के अनुसार "सीखना उस बात को खोजने  
व जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना  
व जानना चाहता है।"

→ \* मैकजाव के अनुसार -

- ① अधिगम व्यवहार में सतत परिवर्तन है जो जीवनपर्यन्त चलता रहता है।
- ② अधिगम सर्वांगीण है अतः मानव जीवन के सभी पक्षों में अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है।
- ③ अधिगम में ध्यस्त सम्पूर्ण रूप से (शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि) सम्मिलित रहता है।
- ④ अधिगम आधिकांशतः व्यवहार के ऋणम में परिवर्तन होता है।
- ⑤ अधिगम विकासात्मक है।
- ⑥ अधिगम प्रोत्साहन की प्रक्रिया है।
- ⑦ अधिगम उद्देश्य परक होता है।
- ⑧ अधिगम व रुचि परस्पर सम्बन्धित होती है।
- ⑨ अधिगम तैयारी व अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है।

\* अधिगम के प्रकार - अधिगम को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है -

- (i) शाब्दिक अधिगम
- (ii) गत्यात्मक अधिगम
- (iii) समस्या समाधान अधिगम

\* अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक -

① पूर्व अधिगम - पहले क्या सीखा जा चुका है? यह इससे सम्बन्धित होता है - क्योंकि किसी भी प्रकार के नवीन अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारम्भ नहीं होती बल्कि वह बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारम्भ होती है। बालक के ज्ञान की आधारभूत जिसकी सुदृढ़ अवस्था व्यापक होती है उसकी ज्ञान प्राप्ति की प्रतिक्रिया उतनी ही सुचारु रूप से चलती है अतः शिक्षण के दौरान ज्ञान से अज्ञान की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए।

② विषय-वस्तु - किसी भी प्रकार के अधिगम को प्राप्त करने के लिए विषय-वस्तुओं का भी प्रभाव पड़ता है। सामारणतया: कठिन व असार्थक बातों की अपेक्षा सरल व सार्थक बातें जल्दी सीखी जाती हैं। यदि विषय-वस्तु बालक के उपयोग व महत्व की है तो बालक उसे सीघ्रता से ग्रहण कर लेता है। अतः बालकों को अधिगम करते समय विषय-वस्तु को उसके जीवन से सम्बन्धित करके पढ़ाना चाहिए।

③ शारीरिक स्वास्थ्य - अधिगम के लिए शारीरिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम कोई भी ज्ञान या कला को सीखना नहीं सीख पाते हैं।

④ परिपक्वता (Maturity) - छोटी कक्षाओं में बालकों की मांस-पेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि वह कलम, किताब, कॉपी आदि उपयुक्त प्रकार से पकड़ सकें। परन्तु जैसे-जैसे बालक बड़ा होता है तो उसकी योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर पाठ को पढ़ाया जाता है। अतः सिखाई जाने वाली क्लिमां उनकी आयु व क्षमता के अनुसार होनी चाहिए।

⑤ मानसिक स्वास्थ्य - अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो भी अधिगम में बाधा आती है। मानसिक संतुलन भी अधिगम को प्रभावित करता है। संतुलन अच्छा है तो जल्दी सीखते हैं।

⑥ अधिगम की इच्छा - यदि बालकों में सीखने की इच्छा है तो वह प्रतिकूल परिस्थिति में भी

सीख लेता है। और यदि उसमें सीखने की इच्छा नहीं है तो उसे किसी भी परिस्थिति में उसे जबरदस्ती सीखाया नहीं जा सकता है।

⑦ प्रेरणा - अगर अच्छी प्रेरणा मिलेगी तो जो व्यक्ति निष्क्रिय है वह भी कार्य करेगा। इसीलिए प्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करती है।

⑧ थकान - थकान अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है। मानसिक तथा शारीरिक थकान से अधिगम में बाधा दे जाता है। अतः बालक को शिक्षा के साथ-सु पाठसहगामी क्रियाएं, खेल-शूक आदि क्रियाएं भी कराई जानी चाहिए।

⑨ वातावरण - बालक वातावरण में ही रहकर अधिगम क्रिया करता है। इसीलिए वातावरण का भी अधिगम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। विद्यालय की शिक्षा के साथ-सु यह भी आवश्यक है कि उसके घर के आस-पास का वातावरण उत्तम होना चाहिए।

⑩ सीखने की विधियाँ - बालक को सीखने के लिए ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाना है चाहिए जिससे कि उसे अधिगम में आसानी हो। ये विधियाँ बालक की मानसिक योग्यता के अनुसार होनी चाहिए।

⑪ अध्यापक की भूमिका - अध्यापक का अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान है। बालक अध्यापक से कि व्यक्तित्व से बहुत-हद तक प्रभावित होता है। अतः अध्यापक को बालक को अच्छी शिक्षा के साथ-सु उस शिक्षा का स्वयं भी पालन करना चाहिए और क्षत्र के समक्ष माद्री प्रस्तुत वस चाहिए।

⑫ अभ्यास विभाजन - उत्तम अधिगम के लिए आवश्यक है कि हमें उस कार्य का प्रतिदिन अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि बाद में वह कार्य और अधिक कठिन न हो जाए। इस प्रकार अभ्यास द्वारा अधिगम में त्रिपुण बनाया जा सकता है।

13) आत्म आवेकन - आत्म आवेकन भी अधिगम पर बालक प्रभाव डालता है। किसी बालक की आत्म आवेकन का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए नहीं तो वह अधिगम पर ध्यान नहीं दे पायेगा।

14) प्रशंसा व आरोप (पुरस्कार व दण्ड) - बालक की समय-समय पर प्रशंसा करते रहनी चाहिए ताकि वह अपना अधिगम आत्म-विश्वास पर कर सके और जरूरत पड़ने पर दण्ड भी देना चाहिए; जिससे बालक अधिगम पर ध्यान दे सके।

15) योग्यताएं - यह बात तो कहना उचित होगा कि संसार में हर मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार ही अधिगम करता है।

\* अधिगम की विधियाँ - अधिगम के लिए अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है।

जिसमें कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं:-

- 1) कठक सीखना।
- 2) निरीक्षण द्वारा सीखना।
- 3) परीक्षण द्वारा सीखना।
- 4) वाद-विवाद विधि।
- 5) वाचन विधि।
- 6) अनुकरण विधि।
- 7) प्रयास एवं लुटि विधि।
- 8) पूर्ण विधि।
- 9) अंश विधि।
- 10) अन्तराल विधि।
- 11) सतत विधि।
- 12) परिणामों का ज्ञान।

(पद के अध्ययन करना) तीन प्रकार में  
→ बोलकर  
→ अनुकरण

- (13) शिक्षण विधियाँ ।
- (14) सक्रिय प्रत्यक्ष विधि ।

उपरोक्त विधियाँ परस्पर एक-दूसरे से भिन्न नहीं हैं। व्यक्ति आवश्यकतानुसार इनमें से कुछ विधियों को एक साथ मिलाकर सीखने में प्रयत्न प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सीखने की कौन सी विधि अधिक श्रेष्ठ है यह एक कठिन प्रश्न है। वास्तव में किसी एक विधि को सर्वश्रेष्ठ कहना उचित नहीं है। पाठ्य सामग्री, बालक की शारीरिक व मानसिक स्तर की तथा अन्य वातावरणीय कारकों के अनुरूप कोई एक विधि अन्य विधियों से श्रेष्ठ हो सकती है।

सूचक

\* सीखने के नियम - थार्नडाइक पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के नियमों को प्रस्तुत किया। प्रारम्भ में तीन ही नियम बताए गये। परन्तु बाद में अन्य 5 नियम और दिये गये। जिन्हें क्रमशः सीखने के मुख्य व गौण नियम कहते हैं।

→ सीखने के मुख्य नियम -

- ① तत्परता का नियम। (Law of Readiness)
- ② अभ्यास का नियम। (" " Exercise)
- ③ प्रभाव का नियम। (" " Effect)

(Secondary)

→ सीखने के गौण या द्वितीय नियम -

- ① अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम। (Law of Attitude)
- ② बहुअनुक्रिया का नियम। [Law of Multiple-Response]
- ③ आंशिक क्रिया का नियम।
- ④ सहसंयोजन या समानता का नियम।
- ⑤ सादृश्य का नियम।

① तत्परता का नियम - (तैयारी का नियम) - सीखने वाला तत्पर होना चाहिए

व्यक्ति के सामने कोई समस्या आने पर उसे हल करने का प्रयास होना चाहिए यदि शिक्षार्थी तत्पर नहीं है तो लाख कोशिशों के बाद भी उसे कुछ नहीं सिखाया जा सकता अतः शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तैयार करना बहुत आवश्यक होता है। तैयार करने हेतु एक शिक्षक विद्यार्थी के पूर्व पाठ से सम्बन्धित प्रश्नों को पूछ सकता है। साथ ही इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का पालन लिया जा सकता है। विद्यार्थियों में सीखने से पहले सम्बन्धित प्रकरण के प्रति रुचि जिज्ञासा तथा इच्छा जागृत करना परम आवश्यक हो जाता है। इससे सम्बन्धित तीन परिस्थितियाँ कार्य करती हैं -

- (i) कार्य करने के लिए तत्पर होने पर यदि कार्य मिलता है तो संतोष की प्राप्ति होती है।
- (ii) कार्य करने के लिए तत्पर होने पर यदि कार्य न किया जाय तो असंतोष की प्राप्ति होती है।
- (iii) कार्य करने के लिए यदि तत्पर न हो फिर भी यदि कार्य मिल जाय तो भी असंतोष की प्राप्ति होती है।

② अभ्यास का नियम - यदि सीखने की क्रिया की आवृत्ति हो, उसे बार-बार दोहराया जाय, उसका अभ्यास किया जाय तो सीखना स्थायी हो जाता है अन्यथा कुछ समय पश्चात् विस्मृत हो जाता है। इसीलिए इसे उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं।

इस नियम की कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना यह कहकर की सीखना केवल अभ्यास से

नहीं होता बल्कि स्वस्थ व सूक्ष्म से भी होता है। यह केवल आवृत्ति पर ही निर्भर नहीं करता यदि ऐसा होता तो सही व गलत दोनों चीजों की आवृत्ति होती। इस आधार पर आधिगम केवल सही अनुक्रिया को ही कहा जाता है। इस आधार पर थॉमस ने इसमें संशोधन कर इसे नियन्त्रित अभ्यास का नियम कहा। इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास या आवृत्ति के साथ-२ अर्थ को समझने तक करने विचारों में सामंजस्य आदि कई क्रियाओं को सम्मिलित किया।

③ प्रभाव का नियम - यदि किसी क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को सन्तोष की प्राप्ति होती है तो वह क्रिया बार-२ की जाती है और यदि उस क्रिया के व्यक्ति को कोई लाभ प्राप्त न हो तो वह क्रिया पुनः नहीं की जाती और वह सीखत नहीं पाता। अतः सीखने में एक उद्दीपक का होना अत्यन्त आवश्यक होता है क्योंकि व्यक्ति उसी को दीपक के आधार पर अपनी अनुक्रिया करता है।

फिर भी यह नियम कार्य करता है। पुरस्कार व दण्ड इसकी उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। व्यक्ति को होने वाला पुरस्कार उसके द्वारा किये गये कार्य को बढ़ावा देता है और प्राप्त होने वाला दण्ड उसमें सुधार करता है।

⇒ सीखने के गौण नियम - (द्वितीय नियम)

① अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम - थॉमस ने

स्पष्ट किया कि अगर सिखाई जाने वाली सामग्री और सीखने के प्रति सीखने वाले की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है अतः उसकी मनोवृत्ति उसी अनुकूल होती है तो वह बीघ्नता से सीखता है अतः यह आवश्यक है कि सिखाई जाने वाली सामग्री सीखने वाले की अभिवृत्ति के अनुकूल हो या उसकी अभिवृत्ति अधिगम सामग्री की ओर (प्रति) जाग्रत की जाये।

② बहुउत्क्रिया का नियम - शॉन शाइक के अनुसार "जब मनुष्य के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह उसके समाधान के लिए अनेक प्रयत्न करता है और अन्त में जिन प्रयत्नों से उसे सफलता मिलती है उनका वह चुनाव करता है उसे ही सीखना कहते हैं। अतः आवश्यक है कि सीखने वाले को समस्या के अनेक समाधान सोचने और उनमें से सही का चुनाव करने के अवसर दिये जायें।

③ आंशिक क्रिया का नियम - यदि समस्या को भागों में विभक्त कर सक-सक भाग का समाधान खोजा जाता है तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। साथ ही सीखने वाले अपनी समस्या के मुख्य तत्वों को ढाँट लेते हैं और उन्हें अपनी अनुक्रियाओं का आधार बनाकर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। यह सीखने की प्रभावी विधि है और यह दर्शाते पूर्ण की ओर शिक्षण-सूत्र का पालन करती है।

④ सदृश्यीकरण का नियम - इसके अन्तर्गत जब व्यक्ति के समानता

मानने जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वह इससे उससे पूर्व या उसी प्रकार की समस्या के समाधान में किये गये प्रयत्नों का स्मरण करता है, उनसे तुलना करता है और फिर उनके अनुसार अनुकूलना करता है, अतः आवश्यक है कि शिक्षार्थियों को तत्सम्बन्धी पूर्व ज्ञान के स्मरण और प्रयोग के अवसर प्रदान किये जायें।

⑤ साहचर्य का नियम - इसके अन्तर्गत दो उद्दीपकों में साहचर्य स्थापित होने पर एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुकूलना दूसरे उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है, यह नियम 'पावलोव' के सिद्धान्त का ही इसरा रूप है।

\* सीखने के स्तर - यह ती-सर्वविदित है कि-मनुष्य जीवन पर्यन्त सीखता रहता है। सीखने की क्रिया में मनुष्य सर्वप्रथम किसी वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य की जानकारी प्राप्त करता है फिर उसे समझने का प्रयत्न करता है और फिर जीवन में आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग करता है। मनुष्य अपने सीखे हुए ज्ञान अथवा कौशल के आधार पर नये-नूतनों की खोज करता है। मनुष्य के सीखने की इस मानसिक क्रिया को तीन स्तरों में विभाजित जा सकता है-

- ① स्मृति स्तर का सीखना।
- ② बोध स्तर का सीखना।
- ③ चिन्तन स्तर का सीखना।

① स्मृति स्तर का सीखना (अधिगम) - जब सीखने वाला किसी वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य का ज्ञान बिना सीधे समझे सीधे प्राप्त

करता है तो इस प्रकार का सीखना स्मृति स्तर का सीखना कहलाता है। इसको सीखने के लिए इसका कोई विचार नहीं करता अतः इसे 'विचारहीन सीखना' भी कहते हैं। इसमें आन्तिक रूप से तथ्यों को ग्रहण करने के कारण यह सबसे निम्न स्तर का सीखना माना जाता है। यह समय के अन्तराल व उपयोग के अभाव में विस्मरण हो जाता है। इसमें निम्न चार प्रक्रियाएँ मिली हैं-

(i) ग्रहण - सीखने वाला सर्वप्रथम किसी वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य का ज्ञान अपनी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा करता है जो कि एक प्रतिमा अथवा चिन्ह के रूप में उसके अचेतन मन में संवित हो जाता है।

(ii) धारण - सीखे गये तथ्यों को मस्तिष्क में मनाये रखना धारण कहलाता है। यह अधिक समय या कम समय या हमेशा के लिए हो सकता है। इसे आयु, परिपक्वता, स्वास्थ्य, सन्धि आदि प्रभाव डालते हैं।

(iii) प्रत्यास्मरण - धारण किये अनुभवों को पुनः चेतन लाने और उन्हें प्रकट करने को प्रत्यास्मरण कहते हैं। धारण अनुभवों को चेतन मन पर न ला सकना विस्मरण कहलाता है।

(iv) प्रत्या अभिज्ञान / पहचान - प्रत्यास्मरण पर उन्हें कुछ अनुभवों से अलग करके और कुछ से जोड़ने तथा स्पष्ट रूप से समझकर अभिज्ञान करने को प्रत्या अभिज्ञान कहते हैं। यह पहचान आंशिक, सत्य या पूर्ण सत्य हो सकती है। किसी में उपरोक्त चार प्रक्रियाएँ जितनी सही रूप में होती हैं स्मृति स्तर का सीखना उतना ही अच्छा होता है। वरन् प्रपः

उसी स्तर का सीखते हैं। ये अधिगम ज्ञान के दो प्रकार के अधिगमों की आधारशिला होता है।

② बोध स्तर की सीखना - जब सीखने वाला ज्ञान को सत्य समझकर प्राप्त करता है तो इस प्रकार का सीखना 'बोध स्तर का सीखना' कहलाता है। मुख्य के द्वारा इस प्रकार के अधिगम में अपनी बुद्धि का प्रयोग किया जाता है और साथ ही अपने विचारों को भी महत्व देता है। अतः इस आधार पर इसे विचारपूर्ण अधिगम भी कहते हैं। इस स्तर पर निम्न क्रियाएं होती हैं -

- (i) पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखना।
- (ii) विश्लेषण कर कारण कार्य सम्बन्ध देखना।
- (iii) विपरीत तथ्यों की खोज करना।
- (iv) मिलते-जुलते तथ्यों से भेद करना।
- (v) अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना।
- (vi) नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना।

सीखने वाला उपरोक्त क्रियाओं को जितने सही रूप में करता है उसका बोध स्तर का अधिगम उतना ही उच्च होता है। इसमें सीखने वाला विचारपूर्ण मानसिक क्रियाएं करता है जिसके आधार पर वह नया ज्ञान प्राप्त करता है। अतः यह स्मृति स्तर से उत्तम प्रकार का होता है। यह समय के अन्तराल व उपयोग के अभाव में बहुत समय तक स्मरण रहता है। और कुछ को जीवन भर याद रहता है।

③ चिन्तन स्तर का सीखना - जब सीखने वाला किसी (बुद्ध) गहरे तथ्य को समझने के लिए चिन्तन करता है तो यह 'चिन्तन स्तर का सीखना' कहलाता है। कुछ चिन्तन को बोध स्तर में करना पड़ता है परन्तु जब चिन्तन गहरा या गूढ़ किया जाए

तो वह चिन्तन स्तर में आ जाता है यह उपायः  
समस्या केन्द्रित होता है। और इसमें स्मृति एवं बोध  
स्तर का सीखना भी निहित होता है। इसमें निम्न  
क्रियाएं होती हैं-

- (i) समस्या के स्वरूप को समझा जाता है
- (ii) पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्या समाधान के उपाय खोजे जाते हैं।
- (iii) तथ्यों के आधार पर उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है।
- (iv) एक के बाद दूसरे उपाय का प्रयोग किया जाता है।
- (v) सही उपाय का चयन व निरर्थक उपायों को छोड़ दिया जाता है।
- (vi) उस उपाय की सत्यता की जांच की जाती है।  
इसमें सीखने वाला स्वयं करके सीखता है,  
और साथ ही अपनी क्रियाएं तर्क के आधार पर करता है अतः यह उच्चतम स्तर का सीखना होता है।  
इसमें सीखा गया ज्ञान एवं कौशल स्थिर होता है।  
यह जीवन की समस्याओं के समाधान नये सृजन एवं नई-नई खोजों का आधार होता है परन्तु यह निरर्थक स्तर तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति स्मृति व बोध स्तर का सीखना प्राप्त कर चुके होते हैं। मनुष्य के लिए तीनों स्तरों का सीखना आवश्यक होता है। इसे सीखने की तीन सीढ़ियां माना जा सकता है। इन सब चढ़े बिना उत्तम सीखना सम्भव नहीं।

● शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया - हम शिक्षण एवं सीखने की संयुक्त रूप में लेते हैं, तो अधिगम पर प्रभाव डालने वाले 5 कारक सामने आते हैं-

- ① सीखने वाला - शिक्षार्थी ।

- ② सीखने वाला - शिक्षक ।
- ③ सिखाई जाने वाली सामग्री - पाठ्यवस्तु ।
- ④ शिक्षण विधि - जिस विधि से पढ़ाया जा रहा है।
- ⑤ सम्बन्धित पर्यावरण ।

शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए उपरोक्त छ (पांचों) अंगों का उचित प्रयोग आवश्यक होता है। इनसे सम्बन्धित कार्य निम्न प्रकार हैं-

① शिक्षार्थी से सम्बन्धित कार्य कारक -

- आयु एवं परिपक्वता ।
- मानसिक स्वास्थ्य ।
- शारीरिक स्वास्थ्य ।
- व्यक्तिगत विभिन्नताएँ ।
- कुटुंब ।
- अभिरुचि ।
- क्षमता ।
- अभिप्रेरणा व इच्छा शक्ति ।

② शिक्षक से सम्बन्धित कार्य कारक -

- विषय-वस्तु का ज्ञान ।
- उच्चारण स्पष्ट होना ।
- स्वास्थ्य ( शारीरिक व मानसिक ) ।
- रुचि ।
- व्यक्तित्व ।
- शिक्षण कौशल ।
- शैक्षिक वातावरण में सहभागिता ।
- शिक्षार्थियों के प्रति व्यवहार ।

③ सीखाई जाने वाली पाठ्यवस्तु -

- छात्रों के स्तर अनुसार।
- पाठ्य सहाय्यी क्रियाएं।
- मानव जीवन से सम्बन्धित।
- सरल प्रकृति।
- पाठ्यवस्तु का संगठन।

④ शिक्षण विधि से सम्बन्धित कारक -

- स्तर अनुसार।
- उपयोगिता।
- शिक्षा तकनीक का प्रयोग।
- शिक्षा साधनों का प्रयोग।
- पाठ्यक्रम।

⑤ पर्यावरण से सम्बन्धित कारक -

- शान्त वातावरण।
- प्राकृतिक वातावरण।
- सामाजिक वातावरण।
- शिक्षण एवं शिक्षण का समय।
- थकान एवं विज्ञान।

⑥ धर्मशास्त्र का सम्बन्धवाद का सिद्धान्त - (उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धान्त, सम्बन्धवाद, बन्धन सिद्धान्त, प्रयास व लुटि सिद्धान्त, उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धान्त, सीखने का सम्बन्ध सिद्धान्त) -

प्रयोग -

थार्नडाइक के प्रयोग के आधार पर कथ  
जा सकता है कि विल्ली द्वारा विंजडा दौलने की  
प्रक्रिया में निम्न सोपान आते हैं -

(i) चालक - विल्ली की श्रुक् ने चालक का कार्य किया,

जिसको पिंजड़े के बाहर रखे भोजन ने अधिक राखी किया।

② लक्ष्य - बिल्ली का एक मात्र लक्ष्य पिंजड़े के बाहर आकर भोजन प्राप्त करना था।

③ अवरोध - बिल्ली का पिंजड़े में लटक देना उसकी लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध था।

④ अनियमित ज़्यादा-कम खेलने का तरीका जानने बिना बिल्ली ने बाहर आने का प्रयास किया।

⑤ संयोगवश सफलान्तरण-2 कैलगातार किये गये प्रयासों के दौरान संयोगवश बिल्ली ने दरवाजा खोल लिया।

⑥ सही अनुक्रिया चयन - धीरे-2 बिल्ली ने फटके (लीवट) को दबाकर दरवाजा खोलने का सही ढंग पहचान लिया।

⑦ हठीकरण - अन्त में बिल्ली ने सभी गलत अनुक्रियाओं का त्याग करते हुए रखे को दबाकर दरवाजा खोलने के ढंग को सीख लिया और उसी अनुक्रिया को सुदृढ़ किया।

\* प्रयास व शूल सिद्धान्त की विशेषताएँ -

① यह सिद्धान्त सम्बन्धवाद का समर्थक है परन्तु यह उद्दीपक अनुक्रिया में सम्बन्ध स्थापित होने को ही सीखना मानता है जबकि सीखने में पूर्व अनुभव व नवीन अनुभव में भी सम्बन्ध

स्थापित होता है।

② इसके अनुसार सीखे गये ज्ञान का उपयोग कर सकना ही सीखना है जब तक उपयोग न हो उगे सीखना नहीं कह सकते।

③ सीखने के लिए उद्देश्य और उद्देश्य के लिए प्रेरक और अभिप्रेरक होना आवश्यक है और साथ ही सहायक उद्दीपक का होना भी आवश्यक है।

④ सीखने के लिए प्रयत्न आवश्यक है, यह प्रयत्न व शूल द्वारा ही सीखने को सही अनुक्रिया करना कहता है।



⑤ इसमें सीखने के कुछ नियम प्रतिष्ठापित किये गये हैं जो सीखने - सीखाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं।

\* सीमाएं -

- ① ब्रुद्धि का अधिक प्रयोग नहीं।
- ② यांत्रिक विधि।
- ③ तीर या हुक्का।
- ④ निरर्थक प्रतिक्रियाएं।
- ⑤ पर्याप्त शक्ति व समय की आवश्यकता।
- ⑥ अन्तर्दृष्टि का अभाव।
- ⑦ पिछड़े बालकों के लिए उपयुगी।

\* शिक्षा में उपयोगिता -

- (चेरित करना आवश्यक है।)
- ① प्रेरणा का महत्व ।
  - ② सरल से कठिन ।
  - ③ प्रयोगात्मक साक्षी ।
  - ④ कुशलता से सीखना ।
  - ⑤ वैज्ञानिक सुधार (आधार) ।
  - ⑥ आदतों में सुधार ।
  - ⑦ अभ्यास द्वारा सीखना ।
  - ⑧ दोहराना ।
  - ⑨ प्रयत्न एवं भूल पर बल ।
  - ⑩ पुनरावृत्ति ।
  - ⑪ कृत्रिम क्रमिक अध्ययन ।
  - ⑫ पुरस्कार का महत्व ।



\* पावलोव का शास्त्रीय अनुबन्धन सिद्धान्त - (अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धान्त, अनुबन्धित अनुक्रिया, सिद्धान्त अनुबन्धित, सहज क्रिया सिद्धान्त)

→ प्रयोग -

# [Ivan Petrovich Pavlov]

अनुक्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं-

- (i) स्वभाविक अनुक्रिया ।
- (ii) अस्वभाविक अनुक्रिया (अर्जित अनुक्रिया)

इस सिद्धान्त के 4 मुख्य अंग हैं-

(i) स्वभाविक उद्दीपक (U. C. S)

Unconditional Stimulus

(ii) स्वभाविक अनुक्रिया (U. C. R)



Unconditional Response

(iii) अनुबन्धित उद्दीपक (C. S)

(iv) अनुबन्धित क्रिया




(Conditional Reflex Action)

I.



अनुबन्धन के बाद

II.




→ अनुबन्धन की दशांश - अधिगम के अवस्था में अनुबन्धन

सिद्धान्त के अनुसार निम्न 4

दशांश महत्वपूर्ण होती हैं -

- (i) स्वाभाविक उद्दीपक (U.C.S) व अनुक्रिया (U.C.R) का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। पहले स्वाभाविक उद्दीपक (C.S) फिर <sup>लक्षण</sup> माघी से 2 सेकण्ड के पश्चात् स्वाभाविक उद्दीपक (U.C.S) दिया जाना चाहिए।

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_  
गए रागम अन्तःश्लेष्म या अधिक होनी पर  
सीखना प्रभावशाली नहीं होगा।



(ii) स्वाभाविक उद्दीपक का अत्यधिक उद्दीपक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। यदि (C.S) अधिक शक्तिशाली होगा तो जीव स्वाभाविक उद्दीपक पर ध्यान ही नहीं देगा।

(iii) अत्यधिक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनेक बार दोहराना होगा। तब ही अनुबन्धन हो पायेगा। एवं C.S में U.C.S के गुण आ पाएंगे।

(iv) अनुबन्धन के समय उपयुक्त परिस्थितियाँ होनी चाहिए। हम यह नहीं कह सकते हैं कि अनुबन्धन के समय कोई बाह्य अवरोध उपस्थित न हो।

→ अनुबन्धन के सिद्धान्त - वास्तविक अनुबन्धन के सम्बन्ध में किये गये अनेक प्रयोगों में अनुबन्धन के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण प्रयोगों व सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

(1) उत्तेजन - अनुबन्धित उद्दीपक (C.S) ही प्राकृतिक उद्दीपक (U.C.S या U.S) के साथ बार-बार प्रस्तुत करने पर अनुबन्धन के फलस्वरूप प्राणी में उत्तेजन उत्पन्न हो जाता है, जो उसे अनुबन्धित अनुक्रिया (C.R) करने की तत्पर कर देता है।

② विलोपन - अनुबन्धन के उपरान्त जब अनुबन्धित उद्दीपक (C.S) के उपरान्त प्राणी को प्राकृतिक उद्दीपक अनेक बार नहीं दिया जाता है तो धीरे-धीरे प्राणी अनुबन्धित अनुक्रिया (C.R) करना बन्द कर देता है।

③ स्वतः पुनर्लाभ - विलोपन के कुछ समय पश्चात् यदि प्राणी के समक्ष अनुबन्धित उद्दीपक (C.S) प्रस्तुत किया जाता है, तो कभी-कभी प्राणी अनुबन्धित अनुक्रिया (C.R) पुनः कर देता है।

④ उद्दीपक सामान्यीकरण - अनुबन्धन होने के उपरान्त प्राणी अनुबन्धित उद्दीपक (C.S) से मिलते-जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी प्रायः उसी ढंग से अनुक्रिया करता है।

⑤ उद्दीपक विभेदन - अनुबन्धन के प्रयासों की संख्या बढ़ाने पर प्राणी मूल अनुबन्धित उद्दीपक तथा अन्य समान उद्दीपकों में विभेद करने लगता है।

⑥ बाह्य अवरोध - अनुबन्धन के दौरान यदि कोई नया उद्दीपक, अनुबन्धित उद्दीपक (C.S) के साथ दिया जाता है तो पूर्व अनुबन्धन की प्रक्रिया धीमी या अवरुद्ध हो सकती है।


⑦ कालिक क्रम - अनुबन्धन के लिए अनुबन्धित उद्दीपक (C.S) तथा स्वाभाविक उद्दीपक (N.S) के बीच समय अन्तराल के बढ़ाने पर अनुबन्धन कमजोर हो जाता है।

⑧ द्वितीय कोटि अनुबन्धन - किसी अनुबन्धित उद्दीपक के साथ किसी अन्य अ-स्वभाविक उद्दीपक को जोड़-रू-प्रस्तुत करने पर नवीन उद्दीपक अनुबन्धित अनुक्रिया के लिए अनुबन्धित हो जाता है।

⑨ पुनर्वलन - अनुबन्धन को पुनर्वलन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अनुबन्धित उद्दीपक (C.S) के साथ स्वाभाविक उद्दीपक भी तीव्र-रू-में दिया जाता है।

→ Classical अनुबन्धन की विशेषताएं -

- ① अनुबन्धन सिद्धान्त सम्बद्ध सहज क्रिया पर आधारित है। छोटे बच्चे प्रायः इसी रूप में सीखते हैं।
- ② यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक (U.C.S) के साथ अनुबन्धित उद्दीपक (C.S) का प्रयोग किया जाये तो स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि होती है। इसे अनुबन्धित अनुक्रिया (C.R) कहा जाता है।
- ③ यह सिद्धान्त अनुबन्धन और पुनर्वलन पर बल देता है। पुनर्वलन से सीखने की गति बढ़ती है और अनुबन्धन से सीखना स्वार्थ होता है।
- ④ इस सिद्धान्त के अनुसार सीखने के लिए अनुबन्धित उद्दीपक (C.S) और अनुबन्धित अनुक्रिया में सम्बन्ध होना आवश्यक है।
- ⑤ वास्तविक अनुबन्धन के द्वारा बच्चों की गुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतें प्रतिस्थापित की जा सकती हैं और सुसमायोजित बच्चों को सुसमायोजन की ओर उन्मुख किया जा सकता है।



(अनुबन्धित उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक)

→ शास्त्रीय अनुबन्धन की कमियाँ -

- (i) यह सिद्धान्त पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है और बालकों पर प्रयोग करके इसकी पुष्टि की गई है यह परिपक्व मनुष्यों की सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है।
- (ii) इसमें मनुष्य को एक जैविक मशीन माना गया है और सीखने की प्रक्रिया को एक यान्त्रिक प्रक्रिया माना गया है। यह मनुष्य के निम्न स्तर तक पूर्ण सीखने की प्रक्रिया को प्रस्तुत नहीं करता है।
- (iii) अनुबन्धित अनुक्रिया द्वारा सीखना बघायी नहीं होता है।
- (iv) अनुबन्धन प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है जबकि सीखना स्वाभाविक रूप से सदैव चलता रहता है।
- (v) यह सिद्धान्त मनुष्यों के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता है।

शिक्षा में उपयोगिता - अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धान्त का

आधार व्यवहार है। इस सम्बन्ध में वाटसन ने कहा है - "मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ।"

शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग निम्न प्रकार से है -

- (i) क्रिया अनुबन्धन पर अनुबन्धन पर बल।
- (ii) शिक्षा सहायक साधनों पर बल।
- (iii) पुरस्कार एवं वण्ड पर बल।
- (iv) बुद्धि, चिन्तन एवं तर्क की आवश्यकता नहीं।
- (v) आवर्तों पर सुधार।
- (vi) सामाजिकरण में सरलता।
- (vii) भाषा का विकास।
- (viii) अभिप्रेरण प्रदान करना <sup>अस्थिरता</sup>
- (ix) मानसिक व सैवगात्मक <sup>अस्थिरता</sup> का उत्पाद।
- (x) अभिव्यक्ति पर <sup>व्यक्ति</sup> विकास।

→ शिक्षक के लिए उपयोगिता -

(i) यह सिद्धान्त सहज सम्बन्ध के सिद्धान्त पर बल देता है क्योंकि बाल्यकाल की बहुत सी क्रियाएँ ऐसी होती हैं, जो किसी वस्तु विशेष से जुड़ जाती हैं और जीवन भर याद रखती हैं।

(ii) यह सिद्धान्त क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। अतः शिक्षकों को विषयवस्तु की पुनरावृत्ति पर बल देना चाहिए।

(iii) कोई भी प्राणी केवल क्रियाशील होकर ही सीख सकता है अतः क्रियाशीलता के सिद्धान्त का उपयोग अधिगम में किया जाना चाहिए।

(iv) यह सिद्धान्त पुनर्वर्तन के सिद्धान्त पर आधारित है क्योंकि बालकों को पता होता है कि लुरे काम पर लण्ड मिलेगा और अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार। इस सिद्धान्त से बच्चों में अच्छी आदतें विकसित कर लुरी आपतों को सुधारा जा सकता है।

(v) शिक्षण में दृश्य-दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धान्त पर आधारित है।

(vi) मानसिक एवं स्वेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों का इलाज इस अनुबन्धन प्रक्रिया से आसानी से किया जा सकता है।

(vii) विभिन्न प्रकार के वातावरण में समायोजन करने में यह विधि लाभदायक है।

(viii) इस सिद्धान्त के अनुसार बच्चों को कभी भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए क्योंकि बच्चों में प्रेम और दृष्टि का विकास इसी प्रकार होता है।

⊛ स्किनर - बी. एफ. स्किनर (Burrhus Frederic Skinner)

→ स्किनर का क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन सिद्धान्त (क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन, कार्यात्मक अनुबन्धन सिद्धान्त, नैमित्तिक अनुबन्धन सिद्धान्त, सक्रिय-अनुकूलित अनुबन्धन सिद्धान्त, पुनर्वर्तन सिद्धान्त)

→ प्रयोग -

## → स्क्लर प्रयोग के निवर्ष-

- ① क्रिया करने के लिए किसी उद्दीपक का होना जरूरी नहीं होता जैसा कि थॉर्गोस्क एवं पावलोव ने समझा था। क्रिया प्राणी की जैविक रचना का एक अंग है, जब कोई जैविक या पर्यावरणीय आवश्यकता जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरक एवं अभिप्रेक कहते हैं, होती है तो प्राणी स्वतः क्रियाशील हो जाता है।
- ② क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलता से सीखने वाले को पुनर्वर्तन मिलता है। जिसके आधार पर वह भविष्य में भी अपनी क्रियाएं करता है।
- ③ पुनर्वर्तन से सीखने की क्रिया तीव्र होती है और सीखने वाला अतिशीघ्र सीख जाता है।
- ④ क्रिया और पुनर्वर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाला अनुबन्धन ही क्रिया-प्रसूत अथवा सक्रिय अनुबन्धन है, क्योंकि यह उद्दीपक के द्वारा नहीं बल्कि क्रिया के द्वारा होता है।
- ⑤ सभी प्राणी प्रायः सक्रिय अनुबन्धन द्वारा ही सीखते सीखते हैं। इस प्रकार सीखने की सहीप अनुबन्धन सीखना अथवा अधिगम कहते हैं।

→ प्राणी की क्रियाओं के प्रकार - ये दो प्रकार की होती हैं-

① निष्कासित अनुक्रिया - इसका तात्पर्य किसी उद्दीपक के प्रति होने वाली अथवा क्रियाओं से होता है।

② उत्सर्जित अनुक्रिया - इसका तात्पर्य किसी क्रिया के प्रति होने वाली अनुक्रियाओं

से होता है। क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित होने वाली अनुक्रियाओं को क्रिया प्रसृत कहा जाता है।

→ पुनर्वर्तन अनुसूची -

① निश्चित अनुपात अनुसूची - इसमें कई निश्चित सही अनुक्रियाओं के पश्चात् एक बार पुनर्वर्तन दिया जाता है। जैसे- 5 क्रियाओं के बाद पुनर्वर्तन देना है।

② निश्चित अन्तराल अनुसूची - सीखने वाले को एक निश्चित समय के पश्चात् एक पुनर्वर्तन दिया जाता है। इसकी समयकालि एक मिनट से लेकर एक माह तक हो सकती है।

③ शत प्रतिशत अनुसूची - इसमें प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद पुनर्वर्तन दिया जाता है। इससे प्राणी किसी भी अनुक्रिया को जल्दी सीख लेता है।

④ आंशिक अनुसूची - सही या गलत किसी भी अनुक्रिया के बाद कभी भी अनिश्चित रूप से पुनर्वर्तन दिया जा सकता है।

→ सक्रिय अनुबन्धन सिद्धान्त की विशेषताएं -

① यह सिद्धान्त क्रिया प्रसृत अनुबन्धन पर बल देता है। क्रिया प्रसृत अनुबन्धन में अनुक्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा संचालित होती हैं। इस प्रकार सीखना

स्थिति होता है।

- ② यह सिद्धान्त क्रिया से अधिक, क्रिया के परिणाम को महत्व देता है और नकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्जनन पर बल देता है जो सीखने वाले क्रिया की गति प्रदान करता है।
- ③ यह सिद्धान्त सफलता पर बल देता है - चूंकि सफलता से ही पुनर्जनन मिलता है।
- ④ यह सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है और अभ्यास से सीखना स्थिति होता है।
- ⑤ इससे प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मन्दबुद्धि के बच्चों को भी आसानी से सिखाया जा सकता है।

→ कमियाँ या दोष -

- ① यह सिद्धान्त पशुपक्षियों पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है यह उनके प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयोगी है। यह मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया को उचित प्रकार से प्रस्तुत नहीं करता।
- ② यह सिद्धान्त मन्दबुद्धि अथवा बुद्धिहीन वाले प्राणियों पर कौं ज्यादा लागू होता है। बुद्धि, चिन्तन एवं तर्क का इसमें कोई महत्व नहीं।
- ③ स्किनर ने पुनर्जनन को शक्तिदाता माना है जबकि मनुष्य के सीखने में उद्देश्य प्राप्ति की लगन ज्यादा शक्तिशाली होती है।

- ④ इसके अनुसार सीखना यांत्रिक होता है। इसमें लुब्धि की आवश्यकता अधिक नहीं होती है।  
जलानि मनुष्य की सीखने की प्रक्रिया में लुब्धि, चिन्तन, तर्क एवं विवेक की आवश्यकता होती है।

### \* शिक्षा में उपयोगिता -

- ① इसके अनुसरण से माता-पिता तथा अध्यापकों के द्वारा बालकों में वांछित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है।
- ② सीखने के लिए उत्प्रेरक के साथ पर प्रेरणा को मिला देते हैं।
- ③ इसमें अच्छे कार्य सफलता या वांछित व्यवहार के तुरन्त बाद पुनर्बल देने पर बल दिया जाता है।
- ④ शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने पर जोर दिया जाता है।
- ⑤ इसी सिद्धान्त के आधार पर अभिक्रमिक अनुदेशन का विकास किया गया, जो सीखने में सहायक है।
- ⑥ इसमें नयी बातें सीखते समय, सीखने वाले की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है।
- ⑦ शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण के उद्देश्य तथा मूल्यों को स्पष्ट करने वालों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- ⑧ गणित में पढाई, तथा भाषा में वर्तनी याद कराने समय इस सिद्धान्त का प्रयोग करना चाहिए।
- ⑨ इस सिद्धान्त में किये गये कार्य के परिणाम की जानकारी यथा शीघ्र देने पर बल दिया जाता है।

हैं

⑩ इससे समंस्यात्मक बालकों में व्यक्ति परिवर्तन किया जा सकता है। क्षमील बच्चों की छिक्क झर की जा सकती है और कम झुद्धि वाले बालों को पढ़ाया व बीखाया जा सकता है।

❋ शास्त्रीय अनुबन्धन व सक्रीय अनुबन्धन में अन्तर-

शास्त्रीय अनुबन्धन पावलौव	सक्रिय अनुबन्धन स्किनर
① प्राणी उद्दीपक के उपस्थित होने पर भी क्रिया करता है।	① प्राणी स्वयं से क्रियाशील होता है, किसी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती।
② प्राणी को अनुक्रिया करने के लिए वाद्य किया जाता है।	② प्राणी अपनी इच्छा से अनुक्रिया करता है।
③ इसमें पुनर्वलन उद्दीपक के साथ सम्बद्ध होता है।	③ पुनर्वलन अनुक्रिया के साथ होता है।
④ अनुबन्धित उद्दीपक (C.S) प्राणी को कुछ ही समय तक क्रियाशील करता है।	④ शास्त्रीय अनुबन्धन में प्राणी सदैव क्रियाशील रहता है।
⑤ इसमें स्वाभाविक अनुक्रिया (U.C.R) और अनुबन्धित अनुक्रिया (C.R) एक ही होती है (जैसे - कुत्ते की लार का निमलना)।	⑤ इसमें अनुक्रियाएं अलग-अलग होती हैं जैसे - चुट्टे का उदलना-झुटना खाना-खाने से भिन्न है।
⑥ इसे S-प्रकार <sup>(TYPE-S)</sup> अनुबन्धन भी कहा जाता है।	⑥ इसे R-प्रकार अनुबन्धन कहा जाता है।
(TYPE-S)	

- ⑦ यह अनुक्रियात्मक व्यवहार को सीखने में सहायता प्रदान करता है।
- ⑦ यह क्रिया-प्रसूत अनुभव को सीखने में सहायता प्रदान करता है।

[Wolfgang Kohler]

\* कोहलर का सूक्ष्म सिद्धान्त - (गोस्टाल्ड सिद्धान्त, पूर्णकार, समग्र आकृति)

सीखने का क्षेत्रीय सिद्धान्त, insight theory, (अन्तरदृष्टि सिद्धान्त):

उपरोक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन गोस्टाल्डवादियों ने किया था। इसीलिए इसे गोस्टाल्ड सिद्धान्त भी कहते हैं।

यह सिद्धान्त एक जर्मन स्कूल की देन है। जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इस स्कूल से सम्बन्धित व्यक्ति मैक्स वर्दीमर, कोहलर तथा कोफका थे। वर्दीमर इस सिद्धान्त के प्रतिपादक तथा अन्य इस सिद्धान्त को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति रहे हैं।


गोस्टाल्ड किसी व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं है। ये जर्मन भाषा का शब्द है; जिसका अर्थ है- आकार, संरचना अथवा प्रतिरूप। यद्यपि इसका अर्थ समग्र आकृति या पूर्णकार लिया जाता है। इसके मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सम्पूर्ण से कुछ बिना होता है, जिनसे वह मिलकर बना होता है। इसके अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। इस सिद्धान्त का अर्थ इस सिद्धान्त के अनुसार प्राणी जो कुछ भी देखते या सुनते या अनुभव करते हैं उसकी एक पूर्ण आकृति बना लेते हैं। व्यक्ति जब किसी नवीन परिस्थिति में आता है, तो वह उस परिस्थिति

था समस्या के विभिन्न अंगों में परस्परिक सम्बन्ध स्थापित करता है। फिर सम्पूर्ण परिस्थिति को समझ कर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। परिस्थिति को ठीक से समझना ही अभी सूक्ष्म है। जब किसी समस्या का हल सरलता से नहीं निकलता तब उसका हल सूक्ष्म द्वारा ही निकाला जाता है।

सूक्ष्म में व्यक्ति हाथ-पैरों की अपेक्षा चिन्तन, तर्क तथा कल्पना शक्ति से अधिक काम लेता है। सम्पूर्ण परिस्थिति को समझना और फिर व्यवहार करना अन्तर्दृष्टि या सूक्ष्मता परिचालक है। इस प्रकार सूक्ष्म में व्यक्ति का व्यवहार दृश्य निर्देशित होता है। वह अन्धा-धुन्ध व्यवहार नहीं करता। वास्तव में अन्तर्दृष्टि तब पैदा होती है, जब सीरतने वाला कार्य में द्विपे - सम्बन्ध साहचर्य को देख लाता है। इससे आकार 'आह अनुभव' भी कथ जाता है।

→ प्रयोग -

गैरटाल्ट



## → सिद्धान्त के नियम -

- ① सरसनात्मकता / संरचनात्मकता - इस सिद्धान्त में अधिगम की सम्पूर्ण प्रक्रिया उस क्षण पूर्ण मानी जाती है, जब किसी प्रक्रिया का निश्चित रूप प्रकट हो।
- ② समरूपता - जो वस्तुएं आकार में समान होती हैं उसका पूर्णकार रूप उसी प्रकार से अन्तर्दृष्टि में होता है।
- ③ समीपता - जो वस्तुएं आकार में एक दूसरे के समीप हरी में वे एक सभ्रट के रूप में प्रकट हो जाती हैं।
- ④ समापन - मस्तिष्क में विस्तृत स्थित झिल को बन्द करने की प्रक्रिया इसमें आती है। अज्ञात अर्थात् एक ही समय पर एक ही समस्या पर ध्यान (देने) की प्रक्रिया।
- ⑤ निरन्तरता - इसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने सामने उपस्थित वस्तुओं से प्रत्यक्षीकरण कर सम्बन्ध बनाती हैं।

## → सिद्धान्त की विशेषताएं -

- ① अचानक से होती है।
- ② समस्या परिस्थिति में निर्भर।
- ③ कृष्टि से कार्य।
- ④ अनुभव के साथ बढ़ना।




- 5 मूल रूप में प्रयास व लुटि दी-।
- 6 पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण आवश्यक ।
- 7 पुनरावृत्ति से सरल होना ।
- 8 नवीन परिस्थितियों पर लागू होना ।
- 9 पूर्व अनुभव सहायक ।
- 10 स्पष्ट व स्थिर सीखना ।
- 11 पूर्ण से अंश की ओर ।
- 12 समस्या समाधान पर लक्ष्य ।

→ सिद्धान्त की कमियाँ -


- 1 प्रत्येक प्रकार का अधिगम नहीं ।
- 2 पशुओं व बच्चों पर लागू नहीं ।
- 3 स्वयं में पूर्ण नहीं ।
- 4 आयु, क्षमता, वंशानुक्रम, <sup>विभिन्न</sup> आदि का प्रभाव ।
- 5 परिस्थितियाँ अनुकूल होनी चाहिए ।

→ शैक्षिक महत्व -


- 1 बौद्धिक विकास होने पर सीखना ।
- 2 पाठ्यक्रम निर्माण ।
- 3 व्यक्तित्व को समझना आवश्यक ।
- 4 समस्या का पूरा ज्ञान होना ।
- 5 जिज्ञासा उत्पन्न करना ।
- 6 योग्यताओं की मापना ।
- 7 पूर्ण से अंश की ओर ।
- 8 पूर्व अनुभवों का ध्यान ।
- 9 समस्या समाधान विधि ।
- 10 रचनात्मक कार्यों में उपयोगी ।




\* प्रयास व लुटि अनुबन्धन एवं अन्तर्द्विष्ट सिद्धान्तों की तुलना -



→ प्रयास व लुटि सिद्धान्त  
→ थार्नडारक



→ अनुबन्धन सिद्धान्त  
→ पावलोव



→ अन्तर्द्विष्ट का सिद्धान्त  
→ कोह्लर या गैस्टर्ड  
गैस्टर्ड


① इसमें एक उद्दीपक मिलता है, जिसके फलस्वरूप कई प्रतिक्रियाएं करने के बाद इसमें एक ही प्रक्रिया का चयन होता है (बिल्ली की सभी छियाएं)

② इसमें एक प्रतिक्रिया की जाती है, जो कई उद्दीपकों (लूर, झोजन, घण्टी आदि) की आवश्यकता होती है।

③ यह प्रयास एवं लुटि सिद्धान्त के समान ही है सीखने वाला सम्पूर्ण परिस्थितियों की समस्या को समझता है। समस्या के कई हल सोचे जाते हैं, फिर प्रतिक्रिया की जाती है कोई भी प्रतिक्रिया पहले की जा सकती है।

V. Imp. [American Psychologist]  
\* मैसलो का मानवतावादी सिद्धान्त (अभिप्रेरणा सिद्धान्त)

(Abraham Harold Maslow) (A.H. मैसलो) ने इस बात का विरोध किया कि मनुष्य का व्यवहार आंतरिक एवं बाह्य उद्दीपकों पर निर्भर करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया का नारीकी से अध्ययन करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियाँ ही उसके लिए अभिप्रेरकों का कार्य करती हैं। उन्होंने इन अभिप्रेरकों को मनुष्य की आवश्यकताओं के रूप में प्रस्तुत किया है। मैसलो के अनुसार व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सम्बन्धित सामग्री एवं साधन जुटाता है। अनुकूलन, प्रतिकूलन, वस्तु, तथ्य, क्रिया एवं परिस्थिति आदि की व्याख्या करता है और इन सभी को एक व्यवस्थित रूप में प्रयोग करता है। इस सिद्धान्त में अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसीलिए इसे अभिप्रेरणा का सिद्धान्त भी कहा जाता है। मैसलो ने इन आवश्यकताओं को वर्गीकृत इन्हें एक उत्तरी क्रम दिया है जिसे आरोही पद (सौपान) भी कहा जाता है। इस सौपान में मानवीय प्रेरक एक क्रम के रूप में व्यवस्थित होते हैं तथा संख्या में 5 होते हैं। जिस समय विशेष में जी प्रेरक सबसे अधिक उत्तेजना रखता है, वह पूरे व्यवहार पर हाँका जाता है। इस प्रेरक के ज्ञान्त ही पर इसरी क्रोणी का प्रेरक जागृत होता है। और फिर वह हमारे पूरे व्यवहार पर हाँका जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है और सबसे अन्त में 5वाँ प्रेरक प्रभावी होता है।



प्रथम दो मांगें शारीरिक आवश्यकताएं एवं सुरक्षा को निम्न स्तरीय एवं उपरोक्त तीन मांगें अर्थात् सम्बद्धता, स्नेह, सम्मान तथा आत्मसिद्धि को उच्च स्तरीय मांग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो मांग जितने नीचे है उसकी उतनी ही अधिक प्राथमिकता है। निम्नले स्तर की मांगों के पूर्णतः एवं आंशिक रूप से पूरी होने पर भी उससे ऊपर की मांगें क्रियाशील होती हैं। दैनिक मांग सबसे अधिक प्रबल व स्वयं सिद्धि या आत्म सिद्धि की मांग सबसे निम्न होती है।

मैसलो के अनुसार प्रायः दैनिक मांगों की संतुष्टि 85%, सुरक्षा मांगों की 70%, सम्बद्धता एवं स्नेह की 50%, सम्मान की 40% तथा आत्मसिद्धि की मांगों केवल 10% ही पूरी हो पाती हैं।

① शारीरिक आवश्यकताएं - मैसलो के अनुसार ये आवश्यकताएं व्यक्ति की झूलझूत एवं सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। इनमें भोजन, पानी, आराम एवं यौन सम्बन्धी आवश्यकताएं आती हैं। व्यक्ति कभी-कभी इनकी पूरा करने में

अपनी जिन्दगी व्यतीत कर देता है। इसी इति के बिना अन्य आवश्यकताओं के बारे में वह सोचता भी नहीं है। ये इतनी प्रबल होती है कि इनके कारण वह सभी सामाजिक मूल्यों एवं मानकों की भी आवेष्टा कर देता है।

② सुरक्षा की आवश्यकता - प्रथम आवश्यकता के पश्चात् व्यक्ति सुरक्षा आवश्यकता की ओर बढ़ता है। इसमें शारीरिक सुरक्षा, जीवन में स्थिरता, निश्चिन्ता, वचाव, अय, चिन्ता आदि आते हैं। मनुष्य इनकी प्राप्ति की साधन सामग्री पर विचार करता है और उन्हें छुटाने के लिए हर सम्भव प्रयास करता है। नियम-कानून का निर्माण का निर्माण व पालन इसी में आता है।

③ सम्बद्धता व स्नेह की आवश्यकता - यह व्यक्ति को परिवार में समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान प्राप्त करने के लिए उचित करती है। वह समाज से प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति की अपेक्षा करता है। समाज के अन्य लोगों से मधुर सम्बन्ध कायम करता है। वह जीवन का सत्य इसी को मानता है कि व्यक्ति किसी का हो जाये या किसी को अपना बना ले। सम्बद्धता व स्नेह न मिलने पर व्यक्ति कुसमायोजन में पँस सकता है।

④ सम्मान की आवश्यकता - प्रथम तीन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद व्यक्ति समाज में मधुर सम्बन्धों के साथ-साथ अपना अहम् तथा आत्म सम्मान भी प्राप्त करता है।

चाहता है। अपमान, कीर्ति-दिग्गी का एक क्षण भी वह  
 वरदाश्व नहीं कर सकता। आत्म सम्मान पाने के लिए  
 वह अपनी स्वयं की योग्यता एवं क्षमता की पहचान  
 करता है। आत्म विश्वास, उपलब्धि, स्वतन्त्रता आदि की  
 आवश्यकता विकसित करता है। इसमें व्यक्ति व्यक्ति ग्रहण  
 करना चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है। इसके परिणाम  
 स्वरूप वह स्वयं को योग्य बनाये रखना चाहता है  
 और समाज के लिए उत्पादक कार्य करना चाहता है।

⑤ आत्मसिद्धि की आवश्यकता - इस स्तर को व्यक्ति तभी  
 प्राप्त करना चाहता है,  
 जब प्रथम चार आवश्यकताएँ पूरी हो चुकी हों। इसमें  
 व्यक्ति समाज के हित में योगदान करना चाहता है  
 ताकि लोग उसे मरने के बाद भी जाने, यह योगदान  
 आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक या आध्यात्मिक किसी भी  
 रूप में हो सकता है। वह समाज का पथ प्रदर्शक  
 बनना चाहते हैं।

मैसली के अनुसार - "एक संगीतज्ञ को  
 संगीत प्रस्तुत करना  
 चाहिए, कलाकार को चित्तकारी करनी चाहिए तथा  
 कवि को कविता लिखनी चाहिए; यदि वह  
 आत्मसंतुष्टि चाहता है तो। अर्थात् एक व्यक्ति को  
 वही होना चाहिए, जो वह हो सकता है।"

निरूपण - ये सभी पाँचों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।  
 एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व  
 नहीं है। ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर अग्रसरित  
 करने में सहायक होते हैं।

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

## \* मैसरो के सिद्धान्त की विशेषताएँ -

- ① आवश्यकताएँ अभिप्रेरक का कार्य करती हैं
- ② आवश्यकताओं की पूर्ति एक विशेष क्रम में होती है।
- ③ आवश्यकताएँ निम्न स्तर उच्च स्तर की होती हैं।
- ④ आवश्यकताओं की क्रम पूर्णता पर सम्पूर्ण व्यक्तित्व की प्रति होती है।
- ⑤ अन्तःशक्तियों को समझना आवश्यक होता है।

### → कमियाँ -

- ① यह सिद्धान्त वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि इसमें केवल 4 वीं प्रौद्य को शामिल किया गया था।
- ② कुछ तथ्य दोनों स्तरों में शामिल हैं जैसे भोजन के साथ निर्भरता और निर्भरता के साथ स्नेह।
- ③ आत्मसिद्धि पर सहमति नहीं है।
- ④ पूर्व स्तर की पूर्ति के बिना भी सर्वोच्च स्तर प्राप्त हो सकता है।
- ⑤ इसमें प्रतिस्पर्धा, घृणा व द्वेष में परिवर्तित हो जाती है।

→ शिक्षा में उपयोगिता - मैसरो का यह सिद्धान्त एक मानवतावादी व्यक्तित्व का सिद्धान्त है यह मनुष्य को एक मशीन नहीं बल्कि जैविक प्राणी मानता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता निम्न है -

- ① आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण

② पाठ्यक्रम - वास्तविक जीवन से सम्बन्ध ।

③ अभिप्रेरणा आवश्यक ।

④ अधिगम का सम्बन्ध आवश्यकता से जोड़ना ।

⑤ धारित्र का निर्माण करना । (सम्मान एवं आत्मसिद्धि)

\* अन्य सिद्धान्त -

① सूचना संसाधन सिद्धान्त (वृत्तिक सिद्धान्त) - स्कॉल ब्रौजर्स

② क्षेत्र सिद्धान्त - 'कर्ट लेविन' (जर्मनी)

③ तालसूत्र सिद्धान्त (Topological Theory)

③ प्रतिस्थापन सिद्धान्त - ई. आर. गुथरी ।

④ प्रवलन का सिद्धान्त - 'पहल' ।

⑤ मॉडल द्वारा व्यवहार में रूपान्तरण लाने का सिद्धान्त - 'वा-इरा' ।


⑥ प्रयोजन मूलक मनोविज्ञान प्रतीक सीखना - 'टॉलमैन' । (चिन्ह सिद्धान्त)

\* अधिगम के वक्र एवं प्रकार - सीखने की मात्रा तथा समय (अपवा प्रपास) के परस्पर सम्बन्ध को चित्रांकित करने पर जो वक्र शिखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र शिखा कहा जाता है। अधिगम वक्र से समय के साथ सीखने में होने वाली सफलता का ज्ञान होता है।


## अधिगम वक्र चार प्रकार के होते हैं-

① सरल रेखीय वक्र - इसे समान उपलब्धि के भी कहा जाता है जब


समय के साथ-साथ अधिगम की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है तब इस प्रकार प्राप्त वक्र को सरल रेखीय वक्र कहते हैं। परन्तु यह बहुत कम परिस्थितियों में पाया जाता है।




② उन्नतोदर वक्र - इसमें समय अथवा प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगती है तथा अन्त में यह एक क्षैतिज रेखा अथवा पठार के रूप में हो जाता है। इसे घटनशील उपलब्धि वक्र या नकारात्मक गति वक्र भी कहा जाता है। प्रायः इसी प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं।



③ नतोदर वक्र - इसमें समय अथवा प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है। इसे वर्धनशील उपलब्धि वक्र अथवा सकारात्मक गति वक्र भी कहते हैं।



④ मिश्रित निरूपण वक्र - यह वास्तव में नतोदर व उन्नतोदर का मिला-जुला रूप होता है। इसे S-प्रकार वक्र भी कहा जाता है। इसमें प्रारम्भिक अवधि के प्रारम्भ तथा अन्त में प्रारम्भिक अधिगम की मात्रा कम होती है।



जलजि वीच के प्रयासों में अधिगम की मात्रा अधिक होती है

\* मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के विभिन्न वर्गों का सूक्ष्म अध्ययन करके कुछ विशेषताओं की पहचान की जिस आधार पर अधिगम वर्गों को चार प्रकार के भागों में बाँटा जा सकता है।

① प्रारम्भिक स्फुरण (त्वरण) - पाठ को सीखने प्रारम्भ करते समय व्यक्तियों में उत्साह अधिक होता है जिस कारण वह तेजी से सीखता और वह तेजी से ऊपर जाता है

② मध्य स्फुरण (त्वरण) -

③ पठार -

④ अन्तिम स्फुरण (त्वरण) -

## \* सीखने के पठार के कारण -

- ① शारीरिक क्षमता की सीमा ।
- ② बुद्धि एवं मानसिक क्षमता की सीमा ।
- ③ रुचि एवं अभिप्रेरणा की सीमा ।
- ④ ज्ञान की सीमा ।
- ⑤ शिक्षण विधियाँ ।
- ⑥ सीखने, सीखाने की परिस्थितियाँ ।
- ⑦ सीखे जाने वाली सामग्री ।

\* पठार को कम करने के उपाय - मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि किसी भी बच्चे के सीखने के मार्ग में पठार की स्थिति अवश्य आती है उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल उसकी अवधि कम की जा सकती है। उनकी संख्या में कमी लई जा सकती है परन्तु यह सब तभी किया जा सकता है जब इसके लिए उत्तरदायी कारकों को कम किया जाये।

- ① शारीरिक स्वास्थ्य एवं विश्राम ।
- ② बुद्धि एवं मानसिक क्षमताओं में वृद्धि ।

- Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_
- ③ खरि एवं अभिप्रेरणा की निरन्तरता।
  - ④ शान की सीमा का ध्यान।
  - ⑤ उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग।
  - ⑥ सीख, सीखाने की परिस्थितियों में सुधार।
  - ⑦ पाठ सामग्री तथा क्रिया का पाठ में स्तर।

\* अधिगम के कर्कों का शिक्षा एवं सीखने में महत्व -

- ① द्वात्र के सीखने की गति का ज्ञान।
- ② शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का ज्ञान।
- ③ प्रारम्भिक स्फुरण की सीमा को बनाये रखना।
- ④ उचित विधियों का चुनाव।
- ⑤ पठर की स्थिति के आने के कारणों को हर करना।
- ⑥ अन्तिम स्फुरण से लाभ प्राप्त करना।

\* अधिप्रेरणा - (Motivation): अधिप्रेरणा लैटिन भाषा के Motum शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है - मोटर या प्रवर्तन यानि की गति।

अधिप्रेरणा का सामान्य अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना। इसके दो रूप पाये जाते हैं -

(i) प्रक्रिया और (ii) परिणाम।

वास्तव में यह एक आन्तरिक शक्ति होती है जो प्राणी को किसी विशिष्ट कार्य करने को प्रोत्साहित करती है, इसे प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है जिसके सुभावों का निरीक्षण करना ही सम्भव हो पाता है, इसे सीखने का हृदय,

सीरने की सुनहरी सड़क, अनिवार्य स्थिति और सीरने का प्रमुख कारक भी कथ्य जाता है क्योंकि सारा सीरना इसी के कारण होता है अतः ये सीरने का एक आवश्यक तत्व है अभिप्रेरणा वास्तव में 'क्यों' शब्द का उत्तर देती है।

→ परिभाषाएं -

① गुंड (Gund) (Gund) - अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारम्भ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है।

\* अभिप्रेरक - (Motivator) - व्यक्ति में किसी कार्य विशेष को करने के प्रति अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं जो कि दो प्रकार के होते हैं -

- (i) आन्तरिक अभिप्रेरक (भूख, प्यास आदि)
- (ii) बाह्य अभिप्रेरक (आत्मसम्मान, शिक्षा, धन)

अभिप्रेरक व्यक्ति की वै आन्तरिक एवं बाह्य दृष्टाएं हैं जो उसे कार्य विशेष के सम्पादन के लिए अभिप्रेरित करती है और उद्देश्य की प्राप्ति तक क्रियाशील रहती है।

→ अभिप्रेरकों के प्रकार -

- (i) जन्मजात अभिप्रेरक (भूख, प्यास, नींद आदि)
- (ii) अर्जित अभिप्रेरक (सामाजिक प्रतिष्ठान, रकबा आदि)
- (iii) स्वाभाविक अभिप्रेरक (खेलना, व्यायाम करना, सुरक्षित प्राप्त करना)


- (iv) कृत्रिम अभिप्रेरक (अभिरूपा, दण्ड, प्रशंसा)
- (v) जैविक " (क्रोध, भय, प्रेम)
- (vi) मनोवैज्ञानिक " (स्वात्मिकता, पलायन, जिज्ञासा)
- (vii) सामाजिक " (सुरक्षा, संग्रह, स्थिति)
- (viii) प्राथमिक " (भोजन, यौन क्रियाएं)
- (ix) द्वितीयक " (प्रतिष्ठा, रवीकृति, जिज्ञासा)

→ अभिप्रेरणा की प्रकृति -

- 1 यह प्रक्रिया व परिणाम दोनों हैं।
- 2 इसका जन्म आवश्यकता से होता है।
- 3 यह भावात्मक उत्तेजना की स्थिति होती है।
- 4 उद्देश्य की प्राप्ति तक क्रियाशील रहती है।
- 5 रुचि के अभाव में भी क्रियाशील रहती है।
- 6 अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहा जाता है।
- 7 अभिप्रेरक चाहे आन्तरिक हो या बाह्य किन्तु
- 8 अभिप्रेरणा सदैव आन्तरिक होती है।

→ अभिप्रेरणा के <sup>घटक</sup> संघटक (Components of Motivation) -

- 1 आवश्यकता।
- 2 अन्तर्बुद्धि।
- 3 क्रिया।
- 4 प्रोत्साहन। (Incentive)



→ अभिप्रेरणा के प्रकार -

① प्राकृतिक या अन्तर्निहित अभिप्रेरणा ( प्राथमिक )

② बाह्य या वाह्य अभिप्रेरणा ( द्वितीयक )

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| ① शारीरिक अभिप्रेरणा           | ① लक्ष्य अभिप्रेरणा    |
| ② स्वाभाविक "                  | ② ध्यादर्श "           |
| ③ सौतेगात्मक "                 | ③ परिणाम का ज्ञान      |
| ④ सामाजिक "                    | ④ पुरस्कार "           |
| ⑤ निजी या व्यक्तिगत अभिप्रेरणा | ⑤ मजिस्त्रय पूर्ण करिब |
| ⑥ क्रीड़ा या खेल "             |                        |
| ⑦ अनुकरण "                     |                        |

✳ सिरवने में अभिप्रेरणा -

- ① सिरवने की इच्छा ।
- ② सिरवने में आविष्टन ।
- ③ आकांक्षा स्तर ।
- ④ प्रतियोगिता ।
- ⑤ सफलता का ज्ञान ।
- ⑥ प्रशंसा ।
- ⑦ निन्दा । ✓
- ⑧ पुरस्कार ।
- ⑨ दण्ड । ✓
- ⑩ प्रतिकार ।

→ अभिप्रेरणा की विधियाँ -

- ① कौशल की उपयोगिता ।

② शिक्षार्थियों की आवश्यकताएँ ।

③ शिक्षार्थियों का आकांक्षा स्तर ।

④ कक्षा का वातावरण ।

⑤ उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग ।

⑥ शिक्षक का व्यवहार ।

⑦ प्रशंसा एवं निन्दा ।

⑧ पुरस्कार एवं दण्ड ।

⑨ प्रतिद्वन्द्वता एवं प्रतियोगिता ।

⑩ सफलता का ज्ञान ।

⑪ अवधान एवं खेप ।

⑫ नवीनता ।

⑬ प्रगति का ज्ञान ।

⑭ आवश्यकता का ज्ञान ।

# बुद्धि (Intelligence)

बुद्धि का अर्थ चतुराई से लिया जाता है। जो व्यक्ति जितनी अधिक चतुराई या कुशलतापूर्वक समस्या का समाधान निकाल लेता है व संकट में नहीं पड़ता है वह उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। इस प्रकार कुशलतापूर्वक कार्य को की क्षमता ही बुद्धि कहलाती है।

संसार के प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि होती है। इसकी मात्रा अलग-अलग हो सकती है। यह जन्मपात होती है जो उचित वातावरण में परिपक्वता को प्राप्त करती है।

बुद्धि को अध्ययन को तीन पक्षों में बांटा जा सकता है -

- i) कार्यात्मक पक्ष - इसमें बुद्धि व इसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है।
- ii) संरचनात्मक पक्ष - इसमें बुद्धि की संरचना, सिद्धान्त व कारकों का अध्ययन किया जाता है।
- iii) क्रियात्मक पक्ष - इसमें बुद्धि का मापन, तकनीकें व परीक्षण किया जाता है।

## ⇒ बुद्धि की प्रकृति

मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन ने बुद्धि को चार वर्गों में बांटा है -

- i) बुद्धि सीखने की योग्यता है।
- ii) बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है।
- iii) बुद्धि अमूर्त चिन्तन की योग्यता है।
- iv) बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है।

① नौलेसिक - बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति, अमूर्त, अस्थिर, योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है अपितु यह विभिन्न योग्यताओं का योग है।

② बुद्धि व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिन्तन करने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की सम्पूर्ण क्षमता यावक योग्यता है। - वैशालर

⇒ बुद्धि क्या नहीं है?

- 1) बुद्धि ज्ञान नहीं है,
- 2) यह प्रतिभा भी नहीं है।
- 3) यह स्मृति भी नहीं है।
- 4) यह कौशल भी नहीं है।

⇒ बुद्धि की विशेषताएं

- 1) यह एक जन्मजात शक्ति होती है।
- 2) यह ज्ञान अर्जन की शक्ति होती है।
- 3) यह सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति होती है।
- 4) यह विभिन्न संबंधों की समझने की शक्ति है।
- 5) यह समस्या का समाधान करने की शक्ति है।
- 6) यह अच्छे-बुरे, नैतिक-अनैतिक में अंतर की शक्ति है।
- 7) वातावरण से सामंजस्य करने की शक्ति है।
- 8) यह चिन्तन, तर्क और निर्णय करने की शक्ति है।
- 9) यह दृष्टियुक्त कार्य करने की शक्ति है।
- 10) यह अमूर्त चिन्तन की योग्यता है।
- 11) प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा अलग-अलग होती है।
- 12) इसका विकास जन्म से किशोरावस्था तक होता है।
- 13) लिंग भिन्नता के कारण बुद्धि में अंतर नहीं होता है।
- 14) यह अनेक योग्यताओं का समुच्चय है।

## ⇒ बुद्धि का विकास

पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जन्मजात होती है, वह केशानुक्रमीय पित्तों पर आधारित होती है। अर्थात् बच्चे के माता-पिता के संसर्ग के समय उनके गुण सूत्रों के पित्त पित्तों का संयोग होता है, उनके द्वारा निर्धारित होती है। जिस प्रकार पित्तों पर आधारित मनुष्य की लक्षणों का पूर्ण विकास किशोर काल के अन्त तक हो पाता है उसी प्रकार बुद्धि का विकास भी किशोर काल के अन्त तक पूरा हो पाता है। Page → 236-237

⊛ बुद्धि के प्रकार - बुद्धि तीन प्रकार की होती है -

- 1) मूर्त बुद्धि / यान्त्रिक / गत्यात्मक बुद्धि।
- 2) अमूर्त बुद्धि (चिन्तन-मनन)
- 3) सामाजिक बुद्धि (समायोजन)

Imp  
⊛ बुद्धि के सिद्धान्त - बुद्धि का स्वरूप क्या है, यह कैसे कार्य करती है, इस सम्बन्ध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर विभिन्न प्रकार के निवर्ण निकाले जिन्हें 'बुद्धि के सिद्धान्त' कहा जाता है।

बुद्धि के सिद्धान्त से अभिप्राय उसकी प्रकृति तथा संरचना के क्रमबद्ध स्पष्टीकरण से है। इसमें बुद्धि के तथ्यों या कारकों की खोज कर उसकी जटिल प्रक्रिया को समझा गया। इसे दो वर्गों में बाँटा गया है -

1) पिण्डक - इसमें बुद्धि एक पिण्ड के रूप में कार्य करती है।

2) विभाजक - इसमें बुद्धि को विभिन्न प्रकार की

योग्यताओं में बाँटा गया है इसके कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्नवत हैं:-


(i) बुद्धि का एक कारक सिद्धान्त - यह एक प्राचीन सिद्धान्त है। यह बुद्धि मापन परीक्षण से 35 वर्षों तक प्रचलित रहा। इसके अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इससे समस्त मानसिक क्रियाएँ संचालित होती हैं। विने, टर्न, व स्टेन जैसे प्रबल समर्थक थे।

(ii) बुद्धि का द्विकारक सिद्धान्त - इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 'स्पीयरमैन' द्वारा किया गया था। उसके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं - एक जी (G) कारक → General ability और इसका (S) कारक → special ability। इसमें G कारक हमेशा स्थाई होता है। लेकिन S कारक में कार्य के अनुसार अन्तर पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में G व S दोनों कारकों में विभिन्नता पायी जाती है। किसी भी कार्य को करने में ये दोनों कारक सम्मिलित होते हैं।

(A) G कारक की विशेषताएँ -

- (1) - सर्वव्यापी योग्यता।
- (2) - जन्मजात योग्यता।
- (3) - सामान्य मानसिक योग्यता।
- (4) - सामान्य " शक्ति।
- (5) - प्रत्येक क्रिया में प्रयोग।
- (6) - स्थाई व्यक्तित्व में विभिन्नता।
- (7) - अधिगम का उभाव नहीं।

- Page: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_
8. सफलता के लिए निर्मेकार ।
  9. सफलता की सीमा ।




सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता में सम्बन्ध

8. S-कारक की विशेषताएं -

1. विशेष योग्यता ।
2. विशिष्ट क्रियाएं ।
3. सीखा गया कारक ।
4. क्रिया-क्रिया में अन्तर ।
5. व्यक्ति-व्यक्ति में अन्तर ।
6. बहुत सारे S कारक ।
7. विशिष्ट मानसिक शक्ति ।
8. विशेष क्षेत्र में सफलता ।
9. सफलता की मात्रा ।


9. तृतीय कारक - विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं के बाद स्पीयर मैन ने एक और कारक इसमें जोड़ दिया जिसे उसने 'समूह कारक' का नाम दिया ।

यह समूह कारक ज कारक से कम सामान्य, विस्तृत और समरूप होते हैं। और S-कारक से अधिक विस्तृत, सामान्य और समरूप होते हैं।



(iii) बहुकारक सिद्धान्त (थॉर्नडाइक) - थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में सामान्य योग्यता (ज-कारक) जैसा कोई तत्व नहीं होता है। बुद्धि तो अनेक विशेष प्रकार के तत्वों का योग है और किसी भी कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्व एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जहाँ पर S-R सम्बन्ध अच्छी प्रकार से स्थापित हो जाता है। व्यक्ति उन कार्यों को अच्छी तरह से कर लेता है और जहाँ पर यह सम्बन्ध नहीं बन पाता है तो व्यक्ति उन कार्यों को करने में त्रुटि करता है। यह कहना भी आवश्यक होगा कि अगर एक व्यक्ति कोई कार्य अच्छी प्रकार से कर लेता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह इसी कार्य को भी अच्छी प्रकार से कर सके।

इस सिद्धान्त के अनुसार बुद्धि अनेक स्वतन्त्र कारकों से मिलकर बनी है। किसी भी मानसिक कार्य को करने के लिए अनेक छोटे-छोटे कारक साथ मिलकर सहायता करते हैं।




# बुद्धि का समूह कारक सिद्धान्त - शिकागो विश्व विद्यालय के प्रोफेसर थर्स्टन ने अपनी बुद्धि सिद्धान्त का प्रतिपादन 1938 में किया जिसके आधार पर यह नियन्त्रण निकाला कि न तो बुद्धि किसी एक योग्यता का प्रतीक है, न दो का, न तीन का और न ही अनेक योग्यताओं का अपितु यह सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूह का योग है। प्रत्येक में एक प्राथमिक कारक होता है जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो कि 'प्राथमिक मानसिक योग्यता' कहलाती है। इसी आधार पर इस थर्स्टन के 'समूह कारक सिद्धान्त' के साथ-साथ 'प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धान्त' का कारक विश्लेषण बुद्धि सिद्धान्त भी कहा जाता है।

इस सिद्धान्त में 7 प्राथमिक कारकों या प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की खोज की गई है -

- |       |                                |   |
|-------|--------------------------------|---|
| (i)   | संख्यात्मक योग्यता - (N)       | N |
| (ii)  | शाब्दिक योग्यता - (V)          | V |
| (iii) | स्थानिक योग्यता - (S)          | S |
| (iv)  | शब्द प्रवाह - (W)              | W |
| (v)   | तार्किक योग्यता - (R)          | R |
| (vi)  | स्मृति योग्यता - (M)           | M |
| (vii) | उत्पन्न सम्बन्धी योग्यता - (P) | P |

संक्षेप में इसे निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है -

$$\text{बुद्धि} = N + V + S + W + R + M + P$$



उपरिष्ठ के अतिरिक्त एक अन्य कारक का भी उल्लेख किया गया है। जिसे 'समस्या समाधान योग्यता' कहा गया है।

थुस्टिन ने इन सात मानसिक योग्यताओं के आधार पर एक बुद्धि परीक्षण भी तैयार किया था जिसे 'प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण' कहा जाता है।

### ★ गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धान्त - 'बुद्धि की संरचना' SOI

बुद्धि की संरचना जिसे संक्षिप्त रूप में SOI कहते हैं, को U.S.A के दक्षिणी क्लैफोर्निया मनी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में डॉ. जे. पी. गिलफोर्ड व उनके साथियों द्वारा विकसित किया गया। इसके मनुष्य बुद्धि मानसिक योग्यताओं के कम से कम तीन आयामों से निर्मित है - क्रियाएं, विषय-वस्तु और उत्पादन। उन्होंने पाँच प्रकार की क्रियाएं, चार प्रकार की विषय-वस्तु और 6 प्रकार के प्रतिपादों की खोज की। इस प्रकार कहा गया कि बुद्धि इन  $4 \times 5 \times 6 = 120$  मानसिक योग्यताओं का योग ही सकती है।

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

→ क्रियाएं - क्रियाएं पांच प्रकार की होती हैं -

- ① ज्ञान -
- ② स्मृति -
- ③ एक विन्दु चिन्तन
- ④ बहु विद् चिन्तन
- ⑤ मूल्यांकन


→ विषय - वस्तु - चार

- ① अकारात्मक विषय - वस्तु ।
- ② प्रतिकारात्मक विषय - वस्तु ।
- ③ शब्दात्मक " " " ।
- ④ व्यवहारात्मक " " " ।

→ उत्पादन - षट्


- ① ईकाइयाँ ।
- ② वर्ग ।
- ③ सम्बन्ध ।
- ④ संघटन ।
- ⑤ परिवर्तन ।
- ⑥ निहितार्थ ।

इस आधार पर बुद्धि का स्वरूप निम्न आधार पर समझा जा सकता है -



\* क्रमिक महत्व का सिद्धान्त - ब्रिटिश बनीवैज्ञानिक वर्ट और बर्न  
 ने ज, S तथा समूह कारकों से सम्बन्धित सिद्धान्तों  
 से एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। जिसे क्रमिक  
 महत्व का सिद्धान्त कहते हैं। इसके अनुसार मानवीय  
 योग्यताएँ क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। इस  
 व्यवस्था में प्रायः सामान्य कारक (ज), मुख्य समूह  
 कारक, लघु समूह कारक तथा विशिष्ट कारक (S)  
 क्रम से होते हैं। सामान्य कारक (ज) सर्वाधिक  
 व्यापक कारक होता है जो सभी मानसिक  
 क्रियाओं में सहायक होता है। ये सामान्य  
 कारक (ज) दो मुख्य कारकों शब्दिक व बौद्धिक  
 योग्यता तथा गतिक व यांत्रिक योग्यताओं में  
 विभक्त किया गया है। इन दोनों को पुनः  
 शब्दिक, मानसिक, यांत्रिक सूचना तथा  
 उपयोगात्मक साम स्थानिक जैसे समूह कारकों  
 में बांटा गया है। इन लघु समूह कारकों को

विशेष कारकों के सम्बन्ध में उनके विशिष्ट कारकों में बांटा गया है।



⊙ तरल, ठोस बुद्धि सिद्धान्त (जस्थिर स्पष्ट सिद्धान्त) -

इस सिद्धान्त को तरल बुद्धि का स्वरूप स्पष्ट करने के दिशा में R.B. लव्हेन ने 1963 में प्रस्तुत किया। बुद्धि को दो महत्वपूर्ण तत्व - तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि के रूप में प्रस्तुत किया।

① तरल बुद्धि - इसका निर्धारण वंशानुगत कारकों द्वारा होता है जो स्पीयर में के जन्म कारकों के समान होता है। इसमें मुख्यतः लक्ष्मि निहित रहती है।

② ठोस बुद्धि - इसका निर्धारण पर्यावरणीय कारकों द्वारा होता है, इसमें इन क्षमताओं को रखा जाता है जिसे व्यक्ति के उपयोग से प्राप्त करता है।

\* गार्डनर का बुद्धि सिद्धान्त - हार्वर्ड वि० विद्यालय के गार्डनर में बुद्धि

के एक अद्वितीय समकालीन सिद्धान्त को प्रस्तुत किया। जिसे बहुबुद्धि सिद्धान्त कहते हैं। यह सिद्धान्त पहली बार 1983 में उनकी पुस्तक

'फ्रेंस प्रिंस आफ मारड' के क रयरी आफ मल्टीपल इटैलिपेनसी' में प्रकाशित हुआ। इनके अनुसार बुद्धि सा-मानव योग्यताओं की सात श्रेणियाँ हैं-

- ① तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि ।
- ② भाषायी बुद्धि ।
- ③ संगीतात्मक बुद्धि ।
- ④ स्थानात्मक बुद्धि ।
- ⑤ शारीरिक संचालन विधात्मक बुद्धि ।
- ⑥ अन्तर्धर्मिता या पारस्परिक सम्बन्ध बुद्धि ।
- ⑦ आन्तरिक व्यान्तर्गत बुद्धि ।

\* बुद्धि A तथा बुद्धि B का सिद्धान्त - इस सिद्धान्त

का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक हव ने किया है। उन्होंने बुद्धि को 2 भागों में विभाजित किया है-

- (1) बुद्धि A - इसका निर्धारण वशातुक्रम होता है। अतः यह जन्म जात होती है। यह किसी व्याप्ति को किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने में सहायता करती है।

② बुद्धि B - इसका निर्माण वातावरण से होता है जो कि शैशवावस्था से शुरू होकर नाल्यावस्था को पार करता हुआ, किशोरावस्था में समाप्त हो जाता है।

## \* बुद्धि की प्रकृति - व विशेषताएं -

- ① बुद्धि सही गलत के निर्णय की योग्यता ।
- ② बुद्धि तर्क करने की शक्ति है।
- ③ बुद्धि जन्मजात होती है।
- ④ बुद्धि अमूर्त चिन्तन है।
- ⑤ बुद्धि सबके पास होती है लेकिन कम या ज्यादा हो सकती है। ( इसकी मात्रा में अंतर होती है। )
- ⑥ बुद्धि के उचित विकास पर पर्यावरण का विशेष महत्व है।
- ⑦ बुद्धि का विकास 18-20 वर्ष तक की आयु में होता है।
- ⑧ शैक्षणिक क्रियाओं द्वारा बुद्धि में वृद्धि सम्भव है।
- ⑨ लिंग-भेद का बुद्धि पर कोई अंतर नहीं होता है।
- ⑩ बुद्धि पर्यावरण के साथ समापोजन है।
- ⑪ यह पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है।
- ⑫ यह समस्या समाधान की योग्यता है।
- ⑬ यह एक नहीं अपितु अनेक योग्यताओं का समुच्चय है।
- ⑭ बुद्धि व ज्ञान में अंतर होता है।

\* बुद्धि का मापन - बुद्धि के प्रमाणिक मापन की विधियों की खोज आधुनिक युग में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने शुरू की। इस सन्दर्भ में सर्वप्रथम जर्मन मनोवैज्ञानिक ब्लुंटा का नाम आता है।

उसने 1879 में बुद्धि मापन के लिए एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इस प्रयोगशाला में लुष्के के शिष्य कैटिल ने बुद्धि परीक्षण तैयार करने का प्रयास किया। इन्हीं से प्रेरणा लेकर वील्सन (1894), गिलवर्ड (1894) और वर्धले (1901) ने बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए परीक्षण तैयार किये। परन्तु इनके द्वारा तैयार किये गये परीक्षणों को आज बुद्धि परीक्षण नहीं माना जाता है। क्योंकि यह केवल मानविक क्रियाओं का परीक्षण करते हैं।

इस क्षेत्र में प्रमाणित कार्य करने वाला सबसे पहला व्यक्ति फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बिने था। उसने अपने साथी साश्मन के सहयोग से 1905 में एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जो आज भी प्रमाणित माना जाता है। \* बिने को भी बुद्धि परीक्षण का जन्म-दाता माना जाता है।

देश-विदेश के मनोवैज्ञानिकों ने बिने साश्मन बुद्धि परीक्षण की मान्यता प्राप्त की और उसे 1916 में स्टेनफोर्ड बिने स्केल के नाम से प्रकाशित किया। (1916) में जोरिस ने आर्मी I- परीक्षण का निर्माण किया। और (1917) में आर्मी II- परीक्षण को प्रस्तुत किया। इसके बाद अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थर्स्टोन ने 1926 में एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया। इसने स्पष्ट किया कि बुद्धि को उसके दैर्घ्य जा सकने वाले उत्पादों के कार्य हैं जिन्हें कोई व्यक्ति पूर्ण करने में समर्थ होता है। उसने बुद्धि को बाह्य प्रति (C) और आन्तरिक प्रति (M) शब्द ज्ञान (B) तथा दिशा भ्रमण (D) के रूप में बताया। इस आधार पर

एक बुद्धि परीक्षण (C, A, B, D) भी प्रस्तुत किया।  
भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किंग-  
साइमन परीक्षण के अनुवाद से हुई। सर्वप्रथम  
इसका तमिल तथा बंगाली भाषा में अनुवाद  
किया गया। इसके बाद 1912 में C. M. स्कॉट  
ने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इसकी स्थिति  
स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रस्तुत किया।  
इसके बाद अनेक बुद्धि परीक्षण तैयार किये गये।

- 1927 में इलाहाबाद में मुनरी के द्वारा
- 1933 में लज्जाशंकर झा द्वारा।
- 1934 में जलोटा द्वारा।
- 1939 में कीमत द्वारा।
- 1942 में सोहनलाल के द्वारा।
- 1955 में C. N. Bhatnagar ने बुद्धि परीक्षण तैयार किया।

उपरोक्त सभी में बुद्धि परीक्षणों की श्रृंखला में माटिया बेंड़ी परीक्षण की शक्ति मान्यता प्राप्त हुई। और 1955 से वर्तमान समय तक न जाने कितने बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हुआ। और ये प्रक्रिया और भी विकसित होती रही है।

# वास्तविक आयु व मानसिक आयु - बुद्धि परीक्षण के संबंध में किसी बालक या व्यक्ति की वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से होता है जो आयु बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। यह माना जाता है कि व्यक्ति की बुद्धि का विकास 16 वर्ष की आयु तक होता है अतः बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में 16 से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी 16 वर्ष का माना

जाता है। 15 दिन से अधिक को 1 माह मान लिया जाता है। माह को भी वर्ष में बदल दिया जाता है।

⇒ मानसिक आयु - बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में मानसिक आयु से तात्पर्य उनके बौद्धिक विकास की सीमा से होता है। प्रयोग द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि किस आयु के सामान्य बालकों की मानसिक शक्तियाँ कितनी विकसित होती हैं। यदि 8 वर्ष का बालक 8 वर्ष के लिए निर्धारित मानसिक क्रियाओं को कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष होगी। यदि वह 10 वर्ष की मानसिक क्रियाओं को कर लेता है तब उसकी आयु 10 वर्ष मानी जायेगी यदि 6 वर्ष की क्रियाओं को कर पाता है तो उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष मानी जायेगी।

⇒ बुद्धिलब्धि - बुद्धिलब्धि से तात्पर्य बालक या व्यक्ति की मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु के अनुपात से होता है।


$$\text{अतः बुद्धिलब्धि (IQ)} = \frac{\text{मानसिक आयु}}{\text{शारीरिक आयु}} \times 100$$

⇒ एरमन की बुद्धिलब्धि तालिका -

IQ	वर्ग
140 से अधिक	प्रतिभाशाली
120 से 139	उत्कृष्ट बुद्धि
110 से 119	उत्कृष्ट बुद्धि
90 से 109	सामान्य बुद्धि
80 से 89	मन्द बुद्धि
70 से 79	निर्बल बुद्धि
50 से 69	मूर्ख बुद्धि
25 से 49	मूढ बुद्धि
0 से 24	जड़ बुद्धि


# बुद्धिलब्धि का वितरण -

बुद्धिलब्धि की सीमाये	प्रतिशत (%)	वर्ग
130 से अधिक	2%	प्रतिभाशाली
121 - 130	7%	प्रखर बुद्धि
111 - 120	16%	तीव्र बुद्धि
91 - 110	50%	साधारण बुद्धि
81 - 90	16%	मन्द बुद्धि
71 - 80	7%	क्षय बुद्धि
71 से कम	2%	जड बुद्धि



बुद्धि लब्धि वितरण

⇒ बुद्धि परीक्षण के प्रकार -



बुद्धि परीक्षणों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है -

1- प्रयोज्य या पराक्षिप्तों की संख्या

2- परीक्षणों के प्रस्तुतीकरण की स्वरूप

इस प्रकार किये गये बुद्धि परीक्षण 4 प्रकार के हो सकते हैं -

1) व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ।

2) व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ।

3) सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ।

4) सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ।

1) व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण -

2) सामूहिक बुद्धि परीक्षण -

3) शाब्दिक बुद्धि परीक्षण - परस्पर वार्तालाप या साक्षात्कार के द्वारा ।

4) अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण - स्थूल आकृतियों के द्वारा परीक्षण

# व्यक्तिगत व सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में तुलना -

व्यक्तिगत	सामूहिक
1) केवल एक व्यक्ति पर ।	① अनेक व्यक्तियों पर ।
2) उशासन व समय अधिक ।	② उशासन व समय कम ।
3) निपुण व अधीक्षित व्यक्तियों द्वारा ।	③ सामान्य व्यक्ति ही देखता है ।
4) समय सीमा निर्धारित नहीं होती है ।	④ समय सीमा निर्धारित होती है ।
5) कम उम्र के लिए उपयोगी ।	⑤ परिपक्व व्यक्तियों पर ।
6) प्रायः मौखिक होते हैं ।	⑥ लिखित होते हैं ।
7) अधिक विश्वसनीय ।	⑦ कम विश्वसनीय ।
8) गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों पक्षों की जानकारी ।	⑧ केवल मात्रात्मक ।

- 9) प्रश्नों में परिवर्तन सम्भव, नकल नहीं।
- 10) अनपढ़ व्यक्तियों पर भी शिक्षित व्यक्तियों पर भी उपयोग
- 11) माहौल अनौपचारिक
- 12) घरीझाड़ी को औत्साहन की जाति
- 13) योग्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन \* निर्माण करना कठिन <sup>मानकीकरण</sup>
- 14) संकोची व्यक्तियों को परेशानी
- 15) परिणाम (फलंकन) करना कठिन • वस्तुनिष्ठता कम
- वैधता एवं विश्वसनीयता औत्साहन कम
- 9) प्रश्नों में परिवर्तन असंभव
- 10) नकल की संभावना
- 11) शिक्षित व्यक्तियों पर भी उपयोग
- 12) औपचारिक
- 13) सामान्य औत्साहन
- 14) कभी-2 संभव नहीं।
- 15) निर्माण करना सरल।
- 16) कोई परेशानी नहीं।
- 17) फलंकन करना सरल।
- अपेक्षाकृत अधिक
- अधिक

# शाब्दिक व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में तुलना -

शाब्दिक	अशाब्दिक
1) भाषा के द्वारा शाब्दिक मानसिक समस्या का प्रस्तुतीकरण।	1) चित्रों या स्थूल सामग्रियों के द्वारा।
2) प्रश्नों के उत्तर भाषा में ही।	2) सही चित्र या वस्तु द्वारा
3) शिक्षित या भाषा जानने वालों का व्यक्तियों पर	3) अशिक्षित छोटे बालकों व विदेशियों पर भी।
4) सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान	4) अप्रभावित।
5) कम खर्चीले होते हैं।	5) खर्चीले।
6) प्रशासन सरल	6) प्रशासन कठिन।
• निर्माण एवं मानकीकरण सरल	• कठिन

# शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी -

- 1) प्रवेश हेतु छात्रों का चयन हर स्तर पर ।
- 2) छात्रों का वर्गीकरण ।
- 3) पिछड़े व भ्रष्टाचारी छात्रों की पहचान ।
- 4) विशिष्ट बालकों की शिक्षा ।
- 5) छात्रों का निदान व उपचार ।
- 6) क्षत्रवृत्ति हेतु चयन ।
- 7) बुद्धि लब्धि का ज्ञान ।
- 8) शैक्षिक समस्याओं का निदान व उपचार ।
- 9) अपव्यय व अवरोधन रोकना ।
- 10) मानसिक स्वास्थ्य के निदान व उपचार ।
- 11) शैक्षिक निर्देशन देना ।
- 12) व्यवसायिक निर्देशन देना ।
- 13) छात्रों के विषय में भविष्यवाणी करना ।
- 14) शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन ।
- 15) शिक्षकों की कार्य कुशलता बढ़ाना ।
- 16) उचित वातावरण का निर्माण करना ।
- 17) वंशानुक्रम विशेषताएं जानना ।
- 18) पर्यावरणीय कारकों की पहचान करना ।
- 19) रुचि का पता लगाना ।
- 20) सीखने की गति को ज्ञात करना ।

Imp.

⇒ व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित विधियाँ -

① प्रोजेक्ट प्रणाली - ( क्लिय पैट्रिक ) -

से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है। जो सामाजिक वातावरण में सम्पन्न होता है इसमें कर्ता की सीखी सिद्धान्त पर तब दिया जाता है।

जैसे - मिट्टी के बर्तन बनाना, नाटक खेल्ना, बगवानी करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पिकनिक आदि।

② डाल्टन प्रणाली ( हेलेन पार्क हस्त ) - इसमें बालक को अपनी

योग्यता, क्षमता व रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्र होती है। उसे समय सारणी के बन्धन में नहीं बँटा जाता है। विद्यार्थी चाहे तो सारा दिन एक ही विषय को पढ़ सकता है। इसमें बालक को दिया गया कार्य एक निश्चित अवधि में अपनी इच्छानुसार करना होता है। अध्यापक की भूमिका मात्र एक पथ प्रदर्शक की होती है।

डाल्टन प्रयोगशाला योजना शिक्षण की कोई प्रणाली अथवा पद्धति नहीं है बल्कि यह एक शैक्षिक पुनर्गठन की एक विधि है। जो सीखने एवं सिखाने की समस्त क्रियाओं में एकता स्थापित करती है।

③ बिनेटिका प्रणाली ( डा० कार्लस वाशबर्न ) -

इस प्रणाली में बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। इसमें सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को दोरी - 2 इकारि में बाँट

दिया जाता है। एक इकाई के बाद ही दूसरी इकाई का अध्ययन किया जाता है। छात्र अपनी परीक्षा स्वयं करता है। इसमें कोई बालक अनुत्तीर्ण नहीं होता है। प्रत्येक विषय में ग्रेड दिये जाते हैं। इसमें प्रत्येक बालक अपनी गति के अनुसार प्रगति करता है।

(4) डैक्रीली प्रणाली ( डा० ओविड डैक्रीली ) - बालक को शिक्षा उसके जीवन से मिलनी चाहिए। रुचि, क्षमता एवं स्तर के अनुसार उनकी विभाजित कर अगले बढ़ने की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राकृतिक वातावरण में माता-पिता के सहयोग से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

(5) कान्ट्रैक्ट ( ठेका ) प्रणाली - यह प्रणाली डाल्टन व लिनर्न का प्रणाली का मिला जुला रूप है। इसमें सप्ताह, माह या वर्ष के आधार पर कार्य एक साथ दे दिया जाता है। छात्र को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। छात्र यदि चाहे एक वर्ष का काम 8 माह में भी स्वतंत्र कर सकता है और यदि वे चाहें तो उस कार्य को अगले साल स्वतंत्र कर सकता है। जब भी कार्य समाप्त होता है तब उसकी परीक्षा ले ली जाती है।

(6) क्रिया विधि - शिक्षक कक्षा को सक्रिय रखने का प्रयत्न रखता है। इसमें विद्यार्थी समझकर प्रश्न पूछकर, कक्षा में होने वाली गति विधियों में हिस्सा लेकर आदि क्रियाओं से पाठ को आत्मसात करता है। इसमें छात्र का निरीक्षण लगातार चलता रहता है।

7. अभिक्रामित अनुदेशन (P.I)

8. किण्डर गार्डन प्रणाली (फ्रीबेल) -

का अर्थ है - बच्चों का नगीचा। इसमें शिक्षक की एक माली और बच्चे को एक पौधा मानकर शिक्षण प्रक्रिया की जाती है। बच्चों के ऊपर कितानों का कोई बोझ नहीं होता है, बालक हँसते-खेलते दूध पीते, बोलते, सीख जाते हैं।

9. माण्टेसरी प्रणाली (डा० मारिया माण्टेसरी) -

इसका अर्थ है - बालकों को शिक्षित करने की यह सबसे श्रेष्ठ प्रणाली है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित होती है। शक्ति, आत्मानुशासन, आत्मनिर्भरता, व्यावहारिक शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, खेल, कर्मन्त्रियों एवं ज्ञानन्त्रियों की शिक्षा इस प्रणाली के आधार है। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श (ध्यान), श्रवण (सूक्ष्म की शक्ति) एवं स्वाक शक्तियों एवं चरित्तु उपकरणों की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाती है।

10. ह्यूमरिस्टिक प्रणाली (आर्मस्ट्रॉंग) -

इसका अर्थ है - मैंने खोज लिया। इस पद्धति के द्वारा बालक, शिक्षक, निरीक्षण, यन्त्रों और पुस्तकों की सहायता से स्वयं ज्ञानार्जन करता है। यह विज्ञान जैसे विषयों के लिए बहुत लाभकारी है। यह बालकों को सदैव क्रियाशील बनाये रखती है।

11. मॉरीसन प्रणाली (M.C. मॉरीसन) - यह योजना


निर्देशित एवं निर्देशन पर आधारित है और सीरवी में इकाई पर बल देती है सीरवी में स्कार को स्थापित करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है

(12) बेसिक शिक्षा प्रणाली (गौंधी) - निःशुल्क शिक्षा एवं हस्तकला

पर आधारित यह प्रणाली बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है इसका माध्यम बालक की गातृमाया होती है आत्मनिर्गता एवं आदर्श नागरिकों के निर्माण के लक्ष्य के साथ - २ वैश-प्रेम, सत्य, अहिंसा आदि की भी शिक्षा दी जाती है। यह प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर बल देती है।

## # व्यक्तित्व - अर्थ एवं परिभाषा -

सामान्य अर्थों में व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंगरूप, विशेषता, बालचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के संयोजन से लगाया जाता है।



व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ वास्तव में संकुचित है।

इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप-रंग, आकार आदि से लिया जाता है। परन्तु व्यक्तित्व की इस व्याख्या को हम पूर्ण एवं सन्तोषप्रद नहीं मान सकते; क्योंकि मनुष्य की आकृति ही व्यक्तित्व का बोध नहीं कराती।

कुछ मनुष्यों का बाह्य रूप-रंग बिल्कुल आकर्षक नहीं होता परन्तु उनका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली होता है। जैसे- महात्मा गाँधी, नेल्सन मण्डेला, टैगोर, शास्त्री, विनोबा आदि।

अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य गुण ही नहीं हैं परन्तु आन्तरिक गुणों का होना परम आवश्यक है। साधारणतः यह स्वीकार किया जाता है कि व्यक्तित्व विचित्र है, जटिल है, व्याख्या से परे है।

⇒ परिभाषाएँ-

① बुद्धि के अनुसार- " व्यक्तित्व व्यक्ति की सम्पूर्ण गुणात्मकता है। "

- ② गॉर्गन तथा गिलीवेण्ड के अनुसार - " हम जो कुछ हैं, उन सबका योग व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है। "
- ③ डेजीव के अनुसार - " व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का सम्पूर्ण चित्र होता है। "
- ④ फारस के अनुसार - " व्यक्तित्व संस्कृति का वैयक्तिक पक्ष है। "
- ⑤ बोसिंग व अन्य के अनुसार - " व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ उचित समायोजन है। "
- ⑥ वेंलेनटाइन या वेंलेनटीन के अनुसार - " व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। "
- ⑦ बिग व हष्ट के अनुसार - " व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यवहार-प्रतिमान और इसकी समस्त विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। "
- ⑧ गिलफोर्ड के अनुसार - " व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। "
- ⑨ आलपोर्ट के अनुसार - " व्यक्तित्व व्यक्ति के अन्दर उन मौ-शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। "
- ⑩ मन के अनुसार - " व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। "

11. वीसेज एवं वीसेज के अनुसार - " व्यक्तित्व, व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों और लक्षणों का वह संगठन है जो जैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होता है। "

12. मैकडी के अनुसार - " व्यक्तित्व रुचियों का वह समाकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार की एक विशेष प्रकार का वैयक्तिक रूप प्रदान करते हैं। "

⇒ व्यक्तित्व का विकास - व्यक्तित्व का गठन हमारे विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होता है। इसमें निहित कारक वंशानुक्रम तथा पर्यावरणजन्य तत्वों से सम्बन्धित होते हैं।

व्यक्ति के विकास की व्याख्या करने में तीन प्रकार के सिद्धान्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं। प्रथम, मनोविश्लेषणवादी सिद्धान्त जिसके अनुसार व्यक्ति के जीवन में उसके प्रारम्भिक पाँच वर्ष उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

द्वितीय, अधिगम सिद्धान्त जिसमें यह स्वीकार किया गया कि अधिगम के बगैर व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं है। तृतीय, रोल सिद्धान्त जिसके अनुसार व्यक्तित्व के विकास हेतु प्राणी की नवीन भूमिकाओं का निर्वहण करने की दक्षता अर्जित करना आवश्यक समझा जाता है।

आगे इन सिद्धान्तों के सन्दर्भ में व्यक्तित्व के विकास सम्बन्धी विशेषताओं का विवरण दिया गया -




- (i) मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार व्यक्तित्व का विकास।
- (ii) अधिगम सिद्धान्तों के अनुसार व्यक्तित्व का विकास।
- (iii) भूमिका सिद्धान्तों के अनुसार व्यक्तित्व का विकास।

डॉ० आर० ए० शर्मा - 400

⇒ व्यक्तित्व की संरचना -

→ फ्रायड के अनुसार -

# व्यक्तित्व की संरचना





सम्बन्ध

सम्बन्ध

Note:-

## Two approach



## # फ्रॉयड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त -

सिगमण्ड फ्रॉयड (1856-1939) ने करीब 40 साल के अपने नैदानिक अनुभवों के बाद व्यक्तित्व के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, उसे व्यक्तित्व का 'मनोविश्लेषिक सिद्धान्त' कहा जाता है।

मनोविश्लेषिक सिद्धान्त मानव प्रकृति या स्वभाव के बारे में कुछ 'मूल पूर्व कल्पनाएँ' पर आधारित हैं। इन पूर्वकल्पनाओं में निर्मांकित प्रमुख हैं -

- (i) मानव व्यवहार बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है तथा ऐसे व्यवहार अविवेकपूर्ण, अपरिवर्तनशील, सामस्थितिक तथा शैथिल्य (knowable) होते हैं।
- (ii) मानव प्रकृति पूर्णता, शरीरगठनी तथा अप्रत्यक्षता जैसी पूर्वकल्पनाओं से हल्के-फुल्के ढंग से प्रभावित होती है।
- (iii) मानव प्रकृति आत्मनिष्ठ की पूर्वकल्पना से बहुत कम प्रभावित होती है।

इन पूर्वकल्पनाओं पर आधारित मनोविश्लेषिक सिद्धान्त की व्याख्या निर्मांकित 'तीन मुख्य भागों' में बाँट कर की जाती है -

- (क) व्यक्तित्व की संरचना (Structure of Personality)।
- (ख) व्यक्तित्व की गतिकी (Dynamics of Personality)।
- (ग) व्यक्तित्व का विकास (Development of Personality)।

इस अनुच्छेद का वर्णन निम्नांकित है -

- (क) व्यक्तित्व की संरचना - फ्रॉयड ने व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन करने के लिए निर्मांकित दो मॉडलों का निर्माण किया -
  - (अ) अकारात्मक मॉडल (Topographical Model)।
  - (ब) गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल (Dynamic or Structural Model)।

इन दोनों मॉडलों की व्याख्या निम्नांकित है -

- (अ) अकारात्मक मॉडल - मन का अकारात्मक मॉडल से तात्पर्य वैसे पहले से होता है; जहाँ संघर्षमय परिस्थिति की गत्यात्मकता उत्पन्न होती है। मन का यह पहलू सचमुच में व्यक्तित्व के गत्यात्मक

शक्तियों के बीच होने वाले संघर्षों का एक कार्यस्थल होता है।  
फ्रॉयड ने इसे तीन स्तरों में बांटा है -

- (i) चैतन (Conscious)
- (ii) अर्धचैतन या अतचैतन या सुलग स्मृति (Subconscious or Preconscious)
- (iii) अचैतन (Unconscious)

(ख) गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल - फ्रॉयड के अनुसार मन के गत्यात्मक मॉडल से तात्पर्य उन साधनों से होता है, जिनके द्वारा मूल प्रवृत्तियों से सम्पूर्ण उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान होता है। ऐसे साधन या प्रतिनिधि तीन हैं -

- (i) उपाहं (Id) (इडम्) प्रकृति - अचैतन
- (ii) अहं (Ego) अचैतन
- (iii) पराहं (Super Ego) चैतन

(ख) व्यक्तित्व की गतिकी - फ्रॉयड के अनुसार मानव जीव एक जटिल तन्त्र है, जिसमें 'शारीरिक ऊर्जा' तथा 'मानसिक ऊर्जा' दोनों ही होते हैं।


शारीरिक ऊर्जा से व्यक्ति शारीरिक क्रियाएँ जैसे - दौड़ना, लिखना, सांस लेना आदि करता है।  
मानसिक ऊर्जा से व्यक्ति मानसिक क्रियाएँ या कार्य जैसे - स्मरण, प्रत्यक्ष चिन्तन आदि करता है।

फ्रॉयड के अनुसार इन दोनों तरह की ऊर्जाओं का स्पर्श बिन्दु 'उपाहं' होता है। फ्रॉयड ने इन ऊर्जाओं से सम्बन्धित कुछ ऐसे सम्प्रत्यय का विकास किया है, जिनसे व्यक्तित्व की 'गत्यात्मक पहलुओं' का वर्णन होता है जो अग्रसर हैं -

- (i) मूलप्रवृत्ति (Instinct)
- (ii) चिन्ता (Anxiety) (i) वास्तविक चिन्ता, (ii) तंत्रिकातपी चिन्ता, (iii) नैतिक चिन्ता
- (iii) अहं रक्षात्मक प्रक्रम (Ego Defence Mechanism)

(i) मूलप्रवृत्ति - मूलप्रवृत्ति से तात्पर्य वैसे जन्मजात शारीरिक उन्नेजा

से होता है; जिराके द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार निर्धारित किये जाते हैं।  
 फ्रायड ने मूलप्रवृत्तियों को मूलतः दो भागों में बाँटा है -



Note:- यौन मूलप्रवृत्ति के ऊर्जा बल को 'लिविडो' (Libido) कहा जाता है। (काम-भावित)

(ii) चिन्ता - फ्रायड के अनुसार चिन्ता एक ऐसी आत्मात्मक एवं दुःखद अवस्था होती है; जो अहम् को आलम्बित स्वभाव से सतर्क करता है ताकि व्यक्ति वातावरण के साथ अनुकूल ढंग से व्यवहार कर सके।  
 फ्रायड ने चिन्ता के 3 प्रकार बतलाये हैं:-

- (i) वास्तविक चिन्ता (Realistic anxiety)
- (ii) तंत्रिकामापी चिन्ता (Neurotic anxiety)
- (iii) नैतिक चिन्ता (Moral anxiety)

→ ये चिन्तारें आपस में शायद ही कभी एक-दूसरे से पूर्णतः गिन रह पाती हैं। सच्चाई यह है कि एक तरह की चिन्ता किसी दूसरे प्रकार की चिन्ता को जन्म देती है।

(iii) मनोरचनाओं या अहम् रक्षात्मक प्रक्रम - अहम् रक्षात्मक प्रक्रम के विचार का प्रतिपादन तो 'सिगमण्ड फ्रायड' ने किया परन्तु इसकी सूची

को उनकी पुत्री 'अन्ना फ्रायड' तथा अन्य 'नि-फ्रायडिन' द्वारा प्रभावित किया गया।

आत्म रक्षात्मक प्रक्रम आत्म की चिन्ताओं से बचा पाता है। रक्षात्मक प्रक्रमों का प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं; परन्तु इसका प्रयोग अधिक करने पर व्यक्ति के प्रति व्यवहार में बाध्यता (Compulsion) एवं स्नायुविकृति (Neuroticism) का गुण विकसित हो जाता है। सभी रक्षात्मक प्रक्रमों में कम से कम निम्नांकित दो गुण अवश्य पाये जाते हैं-

- (i) सभी रक्षात्मक प्रक्रम अचेतन स्तर पर कार्य करते हैं। अतः वे आत्म-भ्रामक (Self-deceptive) होते हैं।
- (ii) ऐसे रक्षात्मक प्रक्रम वास्तविकता के प्रत्यक्षण को विकृत कर देते हैं। फलस्वरूप, व्यक्ति के लिये चिन्ता का स्वरूप कम धमकी पूर्ण हो जाता है।

प्रमुख रक्षात्मक प्रक्रम निम्नांकित हैं-

- (i) दमन (Repression)।
- (ii) यौक्तिकरण (Rationalization)। (सुविकिकरण)
- (iii) प्रतिक्रिया निर्माण (Reaction formation)।
- (iv) प्रतिगमन (Regression)।
- (v) प्रक्षेपण (Projection)।
- (vi) विस्थापन (Displacement)।

उपर्युक्त रक्षात्मक प्रक्रमों से व्यक्ति अपने-आप को बाह्य एवं आन्तरिक तनावों से बचाता है। प्रत्येक रक्षात्मक प्रक्रम के उपयोग में मनोवैज्ञानिक ऊर्जा खर्च होती है; और इसका प्रयोग सभी स्वस्थ व्यक्ति यों द्वारा किया जाता है।

(ग) व्यक्तित्व का विकास - फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास की व्याख्या दो दृष्टिकोणों से की है।

पहला दृष्टिकोण इस बात पर बल डालता है कि व्यस्क व्यक्तित्व बाल्यावस्था के भिन्न-2 तरह की अनुभूतियों द्वारा नियंत्रित होती है। तथा इससे दृष्टिकोण के अनुसार जन्मके समय लैंगिक ऊर्जा (Sexual energy) बच्चों में मौजूद होती है; जो विभिन्न मनोलैंगिक अवस्थाओं से होकर विकसित होती है।

फ्रॉयड के इस दूररे दृष्टिकोण को "मनोलेैगिक विकास का सिद्धान्त" कहा जाता है। इस सिद्धान्त की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं-

(i) मनोलेैगिक विकास की 5 अवस्थाएँ होती हैं और इनमें से प्रथम तीन तथा अन्तिम अवस्था में एक स्वतन्त्र कामुकता क्षेत्र (erogenous zone) उत्पन्न होता है।

(ii) मनोलेैगिक सिद्धान्त के अनुसार मानव विकास का मुख्य बल लेैगिक मूलप्रवृत्ति होता है, जो प्रारम्भिक विकासत्मक वर्षों में कामुकता-क्षेत्र से होकर विकसित होता है।

फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित मनोलेैगिक विकास के सिद्धान्त की पाँच अवस्थाएँ क्रम में निम्नांकित हैं-

- (i) मुखावस्था (oral stage) ।
- (ii) गुदावस्था (Anal stage) ।
- (iii) लिंग प्रधानावस्था (Phallic stage) ।
- (iv) अव्यक्तावस्था (Latency stage) ।
- (v) जननेन्द्रियावस्था (Genital stage) । (बिभ्रौरावस्था)

इन मनोलेैगिक अवस्थाओं से होकर व्यक्ति की लेैगिक ऊर्जा का धीरे-धीरे विकास होता जाता है; जिससे व्यक्ति बाल्यावस्था के निष्क्रियता को त्याग कर व्यक्तावस्था में सामाजिक रूप से उपयोगी एवं सुखमय जीवन जीता है।

⇒ फ्रॉयड के सिद्धान्त का मूल्यांकन -

\* गुण -

- ① यह सिद्धान्त काफी विस्तृत एवं चुनौतीपूर्ण है। इसके द्वारा व्यक्तित्व विकास की व्याख्या बोधगम्य भाषामें की गई है।
- ② फ्रॉयड के सिद्धान्त के अधिकांश सम्प्रत्यय ऐसे हैं; जो आधुनिक व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों के लिए इस क्षेत्र में वर्णनात्मक शोध करने के लिए इस क्षेत्र में वर्णनात्मक शोध करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन साबित हुए हैं।
- ③ फ्रॉयड के सिद्धान्त का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि इसके माध्यम

से मानव व्यवहार के बारे में ज्ञात तथ्यों को तार्किक रूप से मनोवैश्लेषिक ढाँचे में आसानी से ढाला जा सकता है।

④ दिन-प्रतिदिन का मानव-व्यवहार अर्थहीन नहीं होता है।

\* दोष -

① फ्रायड के सिद्धान्तों की विधि वैज्ञानिक नहीं है।

② इस सिद्धान्त के बहुत सारे सम्प्रत्यय अस्पष्ट शब्दों से भरे हैं तथा उनकी आधुनिक जाँच भी सम्भव नहीं है।

③ आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि फ्रायड ने अपने सिद्धान्त को 'व्यक्तिगत प्रेक्षण' पर आधारित किया है।

④ 'लैंगिक ऊर्जा' पर बहुत से ज्यादा बल।

⑤ कुछ मतानुसार इस सिद्धान्त के कुछ सम्प्रत्यय जरूरत से ज्यादा 'पौराणिक' एवं 'कल्पनाओं' काल्पनिक कथाओं पर आधारित हैं।

⑥ 'मातृमनोग्रन्थि' एवं 'पितृमनोग्रन्थि' अविश्वसनीय या वास्तविकता की सीमा से बाहर प्रत्यय।

हाल तथा उनके सहयोगियों ने बहुत ही सटीक शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा है - "सही या गलत, सिगमण्ड फ्रायड ने व्यक्तित्व मनोविज्ञान की जाँच के एक सही रास्ते पर ला रखा है और उसके लिए हम सभी लोग उनके आभारी हैं।"

⇒ अनुप्रयोग -

① स्वप्न विश्लेषण ।

② पाराप्रेक्सोज या दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ ।

③ मनोचिकित्सा ।

फ्रायड के अनुसार - "स्वप्न अचेतन की ओर जाने का एक प्रशासकीय मार्ग कहा है।"

# इरिक इरिकसन : व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धान्त -

इरिक इरिकसन

(1902) उन मनोविश्लेषकों में से एक हैं, जिन्हें सामान्यतः एक उच्च मनोवैज्ञानिकों के रूप में पहचान की गयी है। इन्होंने व्यक्तित्व के सिद्धान्त के प्रतिपादन में फ्रॉयड द्वारा प्रस्तावित विकासात्मक अवस्थाओं को स्वीकार करते हुए उसे व्यक्ति के पूरे जीवनकाल तक विस्तृत किया और उसका अध्ययन किया।

इसके सिद्धान्तों में फ्रॉयड के विचारों से हटकर व्यक्तित्व की सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारकों के रूप में भी समझने की कोशिश की गई है। इसलिए इनके द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धान्त को 'मनोसामाजिक सिद्धान्त' कहा गया।

// इरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धान्त भी मानव प्रकृति में पूर्णतावाद पर्यावरणीयता तथा परिवर्तनशीलता की सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लाया है।

इरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धान्त भी मानव प्रकृति के बारे में कुछ विशेष पूर्वकल्पना करता है। इन पूर्वकल्पनाओं की संक्षेप में इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है -

- (i) इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धान्त मानव प्रकृति में पूर्णतावाद पर्यावरणीयता तथा परिवर्तनशीलता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण बतलाया है।
- (ii) मानव प्रकृति के अन्य पहलुओं जैसे - निर्धार्यता, विवेकपूर्णता, वस्तुनिष्ठता, अग्रलक्षता, विषमस्थिति तथा ज्ञेयता को मनोसामाजिक सिद्धान्त में तुलनात्मक रूप से कम महत्व दिया गया है।

→ इरिक्सन द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धान्त में मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं तथा उनमें होने वाले प्रमुख विकसियों का वर्णन अग्रसर है -

- ① शैशवावस्था : विश्वास बनाम अविश्वास।
- ② प्रारम्भिक बाल्यावस्था : स्वतन्त्रता बनाम लज्जाशीलता।
- ③ खेल अवस्था : पहल-शक्ति बनाम दीर्घता।
- ④ स्कूल अवस्था : परिभ्रम बनाम हीनता।
- ⑤ किशोरावस्था : अहम् पहचान बनाम भूमिका संज्ञांति। (NCF Dec 13)
- ⑥ तरुण वयस्कावस्था : घनिष्ठ बनाम विलगन।
- ⑦ मध्य वयस्कावस्था : जननात्मकता बनाम स्थिरता।
- ⑧ परिपक्वता : अहम् सम्पूर्णता बनाम निराशा।

# ऑलपोर्ट का लक्षण सिद्धान्त -  
गॉर्डन ऑलपोर्ट (1897-1967) का व्यक्ति सिद्धान्त एक ऐसा सिद्धान्त है, जिसमें मानवतावादी एवं व्यक्तिवादी दृष्टिकोणों से मानव-व्यवहार का अध्ययन करने का एक उत्तम संगम को मिला है।


इसके सिद्धान्त में मानवतावादी दृष्टिकोण की परख इस बात से होती है कि इसमें मानव व्यवहार के सभी पहलुओं जिसमें वर्धन की क्षमताएँ/अन्तःशक्तियाँ, अनुभवातीत्व तथा आत्मसिद्धि भी सम्मिलित हैं के अध्ययन पर बल डाला गया है।

व्यक्तिवादी के रूप में ऑलपोर्ट का एक ग्रहणशील मनोवैज्ञानिक माना गया है; क्योंकि वे इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में विभिन्न क्षेत्रों जैसे- दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, साहित्य आदि से महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करके उसे विशेष ढंग से पिरीया है।

ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का वह व्यवहार है जो उसमें निहित कुछ लक्षणों (traits) से निर्देशित होता है। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व लक्षणों को दो वर्गों में विभाजित किया है-

(i) सामान्य लक्षण।

(ii) व्यक्तिगत लक्षण।



(i) सामान्य लक्षण -

(Common Traits) ऑलपोर्ट महोदय ने इस को उन लक्षणों को रखा है, जो किसी समाज के सभी व्यक्तियों में विद्यमान होते हैं और जिन लक्षणों से समाज विशेष के सामाजिक मूल्यों की और सामाजिक रीति-रिवाजों की झलक मिलती है।

ऑलपोर्ट का मानना है कि मनुष्यों में इन लक्षणों का विकास सामाजिक दबाव में होता है। ये व्यक्ति के मौलिक लक्षण नहीं होते अतः ये समाज के सभी व्यक्तियों में पाये जाते हैं। इसलिए इनके आधार पर उनके व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती है।


(ii) व्यक्तिगत लक्षण - (Personal Traits) व्यक्तिगत लक्षणों के वर्ग में आलपोर्ट ने उन लक्षणों को रखा है ; जो भिन्न-२ व्यक्तियों में भिन्न-२ होते हैं और भिन्न-२ मात्रा में होते हैं।

आलपोर्ट के अनुसार मनुष्य की समायोजन की क्रियाएँ इन्हीं लक्षणों से निर्देशित होती हैं। उन्होंने इन्हीं लक्षणों को व्यक्तित्व गिनता का आधार माना है। उनकी दृष्टि से व्यक्तित्व इन लक्षणों का योग या तंत्र नहीं, इनका एक समाकलित रूप होता है।

आलपोर्ट ने व्यक्तिगत लक्षण (Personal Traits) को व्यक्तिगत प्रवृत्ति (Personal Dispositions) की संज्ञा दी है। उन्होंने इस प्रकार की लगभग 18,000 व्यक्तिगत प्रवृत्तियों के होने का दावा किया है। उनकी दृष्टि से इनमें से कुछ प्रवृत्तियाँ व्यक्तित्व की परिधि (Periphery) पर होती हैं ; जिन्हें स्पष्ट रूप से समझा-देखा जा सकता है और कुछ व्यक्तित्व के अन्दर अर्थात् केन्द्र (Centre) में होती हैं ; जिन्हें स्पष्ट रूप से देखना-समझना कठिन होता है।

आलपोर्ट ने व्यक्तिगत प्रवृत्तियों को तीन वर्गों में विभक्त किया है -

- ① प्रधान प्रवृत्तियाँ
- ② केन्द्रीय प्रवृत्तियाँ
- ③ गौण प्रवृत्तियाँ



① प्रधान प्रवृत्तियाँ - (Cardinal Dispositions) इन प्रवृत्तियों को मनुष्य के व्यवहार में सरलता से देखा-समझा जा सकता है।  
जैसे - अहिंसा, शांति, अक्रामकता।

② केन्द्रीय प्रवृत्तियाँ - (Central Dispositions) ये प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के भीतर विद्यमान होती हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रभावित करती हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान होती है।  
जैसे - भावुक, सचेत, सामाजिक, ईमानदारी, दयालुता, सज्जनता

परीपकारिता, कागरता, दबंगपन, कायुक्तता आदि।


© गौण प्रवृत्तियाँ - (Secondary Dispositions) ये प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के लिए कम महत्व की होती हैं और जिनकी दृढ़ता भी कम होती है। जैसे- हेयर स्टाइल, स्वारा प्रकार के भोजन करना, विशेष मनोवृत्ति (Idiosyncratic traits) आदि।

ऑलपोर्ट का कहना है कि कोई प्रवृत्ति किसी एक व्यक्ति के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकती है और किसी दूसरे के लिए गौण प्रवृत्ति, यह व्यक्ति में उसकी दृढ़ता पर निर्भर करता है। इनका मानना है कि इन्हीं प्रवृत्तियों से मनुष्य का व्यवहार निर्देशित होता है। उनका मानना है कि यह अभिव्यक्त व्यवहार ही व्यक्तित्व का परिचायक होता है; इसी आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की समझा जा सकता है और किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व में अन्तर किया जा सकता है।

कुछ मनोवैज्ञानिक ऑलपोर्ट के इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह सिद्धान्त ऑलपोर्ट ने केवल 'स्वस्थ प्रौढ़ों' का अध्ययन करके प्रतिपादित किया है। अतः यह मनोविज्ञान व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता। जिसके फलस्वरूप यह सिद्धान्त अपने में अर्द्धसत्य ही है; पूर्ण सत्य नहीं है।

Note- प्रीप्रियम (Proprium) - ऑलपोर्ट का मत है कि व्यक्तित्व असम्बन्धित शीलगुणों (unrelated traits) का मात्र एक बंडल नहीं होता है बल्कि इसमें शीलगुणों की एक संगति, एकता एवं समन्वय पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तित्व में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो शीलगुणों, मूल्यों, अभिप्रेतों को संगठित करता है। इस नियम को ऑलपोर्ट ने 'प्रीप्रियम' कहा है। प्रीप्रियम एक लैटिन शब्द 'Proprium' से बना है जिसका अर्थ अपना (own) होता है। ऑलपोर्ट के लिए प्रीप्रियम 'आत्मन' या 'अहम्' के तुल्य है; परन्तु उन्होंने इन दोनों शब्दों का प्रयोग

नहीं किया है।



ऑलपोर्ट के अनुसार "प्रौप्रियम से तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से होता है ; जिससे उसमें आन्तरिक स्फूर्ति तथा संगतता आती है।"

प्रौप्रियम मानव प्रकृति के घनात्मक, सृजनात्मक, वर्धन-उन्मुखी तथा गतिशीलता के गुणों को दर्शाता है। ऑलपोर्ट ने प्रौप्रियम के स्वरूप स्वी विकास का वर्णन 7 अवस्थाओं के रूप में किया है -

- ① शारीरिक-आत्मन ।
  - ② आत्म-पहचान ।
  - ③ आत्म-सम्मान ।
  - ④ आत्म-विस्तार ।
  - ⑤ आत्म-प्रतिमा ।
  - ⑥ युक्तिसंगत समाघोजन के रूप में आत्मन । (6-12 वर्ष) ।
  - ⑦ उपयुक्त प्रयास । (किशोरावस्था) ।
- } (प्रथम उवर्ष में विकास) ।
- } (4-6 साल) ।

• प्रथम 3 अवस्थाएँ (4 साल से 6 साल की आयु में विकसित होती हैं) बच्चों में प्रथम तीन वर्ष की आयु में विकसित होती हैं।

• बाद की दो अवस्थाएँ 4-6 साल की आयु में विकसित होती हैं।

• युक्तिसंगत समाघोजन की अवस्था का विकास 6-12 साल की आयु में होता है। तथा अन्तिम अवस्था का विकास किशोरावस्था में होता है।

→ इन सात अवस्थाओं से होकर ही प्रौप्रियम विकसित होता है। किशोरावस्था में आकर प्रौप्रियम का विकास पूर्ण हो जाता है।

# व्यक्तित्व का मापन - (Assessment of Personality) मनुष्य के व्यक्तित्व के मापन का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में हमारे देश में मनुष्य के व्यक्तित्व से तात्पर्य उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के समग्र रूप से लिया जाता था। अतः तब इसका मापन भी इनके विकास के आधार पर किया जाता था।


→ आगे चलकर उसे उसकी रीत, रज और तन्म वृत्तियों के रूप में देखा-समझा जाने लगा और जिस व्यक्ति में जिस वृत्ति की अधिकता होती थी उसे उसी के अनुकूल सात्विक, राजसी अथवा तामसी व्यक्तित्व का कहा जाने लगा। वर्तमान में न तो हम व्यक्तित्व के स्तम्भ स्वरूप के विषय में एकमत हैं और न उसके मापन के विषय में एकमत हैं।

→ दूसरे देशों की कहानी हमारे देश से कुछ भिन्न है। प्राचीन काल में वहाँ मनुष्य के व्यक्तित्व से तात्पर्य उसके बाह्य स्वरूप से लिया जाता था। वह जिस प्रकार का व्यवहार करता था उसे उसके व्यवहार के अनुकूल उसी वर्ग में रखा जाता था।

→ रोमन काल में वहाँ उसके व्यक्तित्व में उसके आन्तरिक स्वरूप को भी सम्मिलित किया जाने लगा और तब उसका मापन भी दोनों आधारों पर किया जाने लगा।

→ वर्तमान में मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या और उसके मापन की विधियों का भी विकास <sup>पारंपारिक मनोवैज्ञानिकों ने शुरू</sup> किया है। उन्होंने व्यक्तित्व मापन की अनेक विधियों का विकास भी किया है।

→ हमारे देश के मनोवैज्ञानिक उनका अन्धानुकरण भी कर रहे हैं। उस बीच व्यक्तित्व मापन की जिन विधियों का विकास हुआ है; उन्हें मूलतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है-



# व्यक्तित्व मापन की विधियाँ

## Methods of Personality Assessment

### अप्रक्षेपी विधियाँ

#### Non-Projective Methods

### प्रक्षेपी विधियाँ

#### Projective-Methods

### व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ

#### (Subjective Methods)

1. अवलोकन विधि (Observation Method)
2. साक्षात्कार विधि (Interview Method)
3. प्रश्नावली विधि (Questionnaire Method)
4. व्यक्ति इतिहास विधि (Case History Method)
5. आत्मकथा विधि (Autobiography Method)

### वस्तुनिष्ठ विधियाँ

#### (Objective Methods)

1. नियंत्रित निरीक्षण विधि (Controlled observation method)
2. श्रेणी मापनी (Rating Scale)
3. शारीरिक परीक्षण (Physiological Test)
4. परिस्थिति परीक्षण (Situation Test)
- (i) मनोनाटक (Psycho Drama)
- (ii) समाजमिति (Sociometry)

1. साहचर्य प्रविधि (Association Technique)
2. रचना प्रविधि (Construction Technique)
3. पूर्ति प्रविधि (Completion Technique)
4. चयन प्रविधि (Selection Technique)
5. अभिव्यक्ति परीक्षण (Expression Tests)

• (हरमैन रोश) 1921	→ रोश साहचर्य धब्बा परीक्षण (Rorschach Ink-Blot Test)
• (मौरिगन स्विन बुरर) 1935	→ प्रसंगिक अन्तर्बोध परीक्षण (Thematic Apperception Test) TAT
• (लियोपोल्ड बेन्क) 1948	→ बाल अन्तर्बोध परीक्षण (Children Apperception Test) CAT